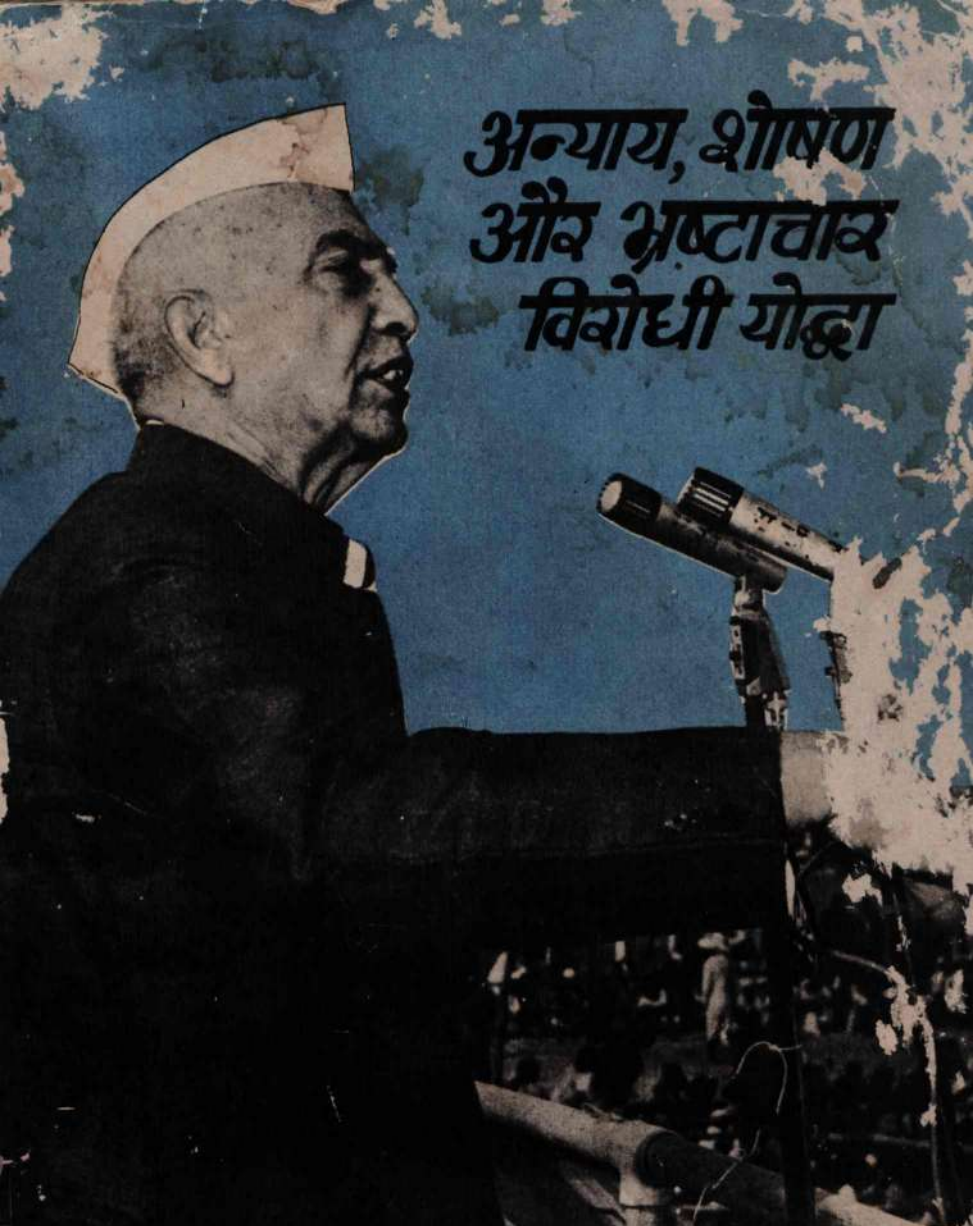




अन्याय, शोषण
और भ्रष्टाचार
विरोधी योद्धा

संक्षिप्त जीवनी
चौधरी चरण सिंह

अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा

संक्षिप्त जीवनी
चौधरी चरण सिंह

विमोचित किसान दिवस, २३ दिसम्बर, १९७८ के अवसर पर

समर्पित

मातृ-भूमि के लाखों दुःखभोगियों को

प्रो० सुखवीर सिंह गोयल

मूल्य : 1 रुपया मात्र

प्रकाशक :

ओमपाल सिंह

मन्त्री

अखिल भारतीय किसान सम्मेलन

11, विठ्ठल भाई पटेल हाउस,
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

मुद्रक : युनिवर्सल आफसेट प्रिन्टर्स, दिल्ली-110002.

भूमिका

इस पुस्तिका में देश को निर्धन जनता का उद्धार करने के महान संघर्ष में सफलता के लिए श्री चरण सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई नीतियों, कार्यक्रमों और उपायों की कुछ झलकियां दी गई हैं। यह उनके जीवन की लघु कथा है।

श्री चरण सिंह दीर्घकाल से अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरन्तर सफलतापूर्वक जूझते आए हैं। इस निष्ठावान विचारक, उत्साही क्रांतिकारी, कट्टर आदर्शवादी तथा महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी को उनके विरोधियों तथा सत्ताधारियों ने अनेकों बार गलत समझा। वे उनकी दुर्बल आवाज में छिपे देश के निर्धन वर्ग के लाखों सदस्यों—कृषक, भूमिहीन किसान, श्रमिक तथा पिछड़े हुए वर्ग—के दुःख की प्रतिध्वनि को बर्दाश्त करना तो क्या सुनना भी पसन्द नहीं करते।

जब कभी देश के शासकों ने गुप्त रूप से या खुल्लम-खुल्ला राष्ट्र के सम्मान या सार्वजनिक हित को आघात पहुंचाया, श्री चरण सिंह ने सदैव बिना परिणाम की चिन्ता किए फौरन प्रत्याक्रमण किया। देश को बचाने और उसके गौरव की रक्षा करने का यह उत्साह उनमें उस समय भी प्रदीप्त था जब वे आपात स्थिति के दौरान नई दिल्ली के केन्द्रीय जेल में बन्दी थे (यहाँ मुझे उनके सहवास का तथा उन्हें गहराई के साथ समझने का सुअवसर मिला था)। श्री चरण सिंह निष्कपट और निर्भय प्रकृति के मनुष्य हैं। सहजता उनका आभूषण है। वे 'समर्पण नहीं बल्कि सहनशीलता' के आदर्श-वाक्य में आस्था रखते हैं और सिद्धान्तों के क्षेत्र में किसी भी तरह के समझौते को अस्वीकार करने में जरा भी समय नष्ट नहीं करते। व्यावहारिक बुद्धिमत्ता

के समर्थक-गद्दी के भूखे राजनीतिज्ञ—श्री चरण सिंह द्वारा मान-वीय सम्मान तथा राष्ट्र हित की रक्षा के लिए अनगिनत पर अपनी गद्दी का बाजी लगा देने को 'उतावलापन' कहते हैं। परन्तु गद्दी चाहे कितनी ही ऊंची तथा सम्मानिक क्यों न हो, श्री चरण सिंह को उसका मोह कभी भी नहीं रहा है। प्रत्येक पद को वे अपने आप में एक लक्ष्य नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का मात्र एक साधन मानते आए हैं।

आज वे भारत के राजनीतिक जीवन के सर्व प्रमुख और बहुचर्चित नेता हैं। उनके प्रशंसकों और उनके नेतृत्व में पूर्ण आस्था रखने वाले लोगों के साथ-साथ उन लोगों को भी जो उनको ठीक तरह से नहीं जानते या जो उनके विरुद्ध मिथ्या प्रचार अथवा गलत धारणाओं का शिकार हैं—सभी के लिए श्री चरण सिंह के विचारों तथा भारत की जनता के सम्मुख खड़ी समस्याओं के लिए उनके द्वारा सुझाए गए समाधानों की जानकारी अत्यन्त आवश्यक है। उनके सत्तरवें वर्षगांठ पर इस पुस्तिका के प्रस्तुत किए जाने का यही एकमात्र उद्देश्य है। किसान दिवस एक सुखद संयोग है

प्रो० सुखवीर सिंह गोयल

रामजस कॉलेज

दिल्ली विश्वविद्यालय

नई दिल्ली-११०००१

२३ दिसम्बर, १९७८

श्री चरण सिंह का जन्म मेरठ जिले के नूरपुर गाँव में एक साधारण किसान परिवार में २३ दिसम्बर १९०२ को हुआ। उन्होंने १९२३ में विज्ञान में स्नातक की, १९२५ में इतिहास में एम. ए. की तथा १९२६ में कानून की उपाधियाँ प्राप्त की। १९२८ में उन्होंने गाजियाबाद में स्वतंत्र रूप से वकालत आरम्भ की। १९३६ में वे मेरठ चले गए।

नमक कानूनों का उल्लंघन करने पर १९३० में उन्हें छः मास का कारावास दिया गया। १९४० में उन पर एक झूठा आरोप लगा कर मुकदमा चलाया गया परन्तु अदालत ने उन्हें निर्दोष ठहराया। इसके तीन महीने बाद नवम्बर १९४० में उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में १ वर्ष के कैद की सजा दी गई। अगस्त, १९४२ में उनको भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और नवम्बर, १९४३ में वे रिहा हुए। १९२६ से १९३६ तक श्री चरण सिंह गाजियाबाद नगर कांग्रेस समिति के सदस्य रहे और कई वर्षों तक समिति के किसी न किसी पद के कार्यभार को चलाते रहे। १९३६ से १९४८ तक उन्होंने लगातार मेरठ जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के या प्रधान सचिव के पद पर कार्य किया। १९४६ में ही श्री चरण सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सदस्य बना दिया गया। साथ ही १९५१ से वे राज्य संसदीय मंडल के भी सदस्य बना दिए गए। बीच में मंडल में गुटबाजी से तंग आकर उन्होंने उसकी सदस्यता त्याग भी दी थी, यहाँ तक कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस समिति को सदस्यता में भी कोई रुचि नहीं दिखाई। १९६५ में उन्होंने गुटों की राजनीति से पूरी तरह अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। १९६६ में कांग्रेस के राज्य संसदीय मंडल के सदस्यों में श्री चरण सिंह को शामिल नहीं किया गया क्योंकि उस वर्ष मंडल के सभी सदस्य चुनाव द्वारा निर्वाचित होने के स्थान पर कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा गुटों के प्रतिनिधित्व के आधार पर मनोनीत किए

गए । १९४८ से १९५६ तक श्री चरण सिंह राज्य विधान मंडल में कांग्रेस पार्टी के प्रधान सचिव भी रहे ।

अप्रैल १९४६ में उनको संसद सचिव नियुक्त किया गया और जन, १९५१ से अगले कई वर्षों तक श्री चरण सिंह उत्तर-प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य रहे । बीच में यह क्रम केवल दो बार १९५६-६० तथा १९६३ में कुल मिला कर लगभग २१ महीनों के लिए ही टूटा ।

१९३६ में श्री चरण सिंह ने निजी सदस्य के तौर पर विधान सभा में कृषि पदार्थों की बिक्री से सम्बन्धित एक विधेयक प्रस्तुत किया । उन्होंने कृषि पदार्थों की बिक्री नामक एक लेख भी लिखा जिसे दिल्ली के समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने दो भागों में अपने ३१ मार्च तथा अप्रैल १९३८ के अंकों में प्रकाशित किया । व्यापारी वर्ग के लोभ से कृषि क्षेत्र में उत्पादकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उनके द्वारा दिए गए सुझावों को लगभग सभी राज्यों ने अपनाया । सबसे पहले पंजाब में १९४० में इसकी शुरुआत हुई । परन्तु जिस राज्य में इस उपाय ने जन्म लिया वहाँ इस विषय पर १९६४ तक कोई अधिनियम नहीं बनाया गया । स्वार्थी लोगों के प्रतिनिधियों ने, जो कांग्रेस तथा सरकार दोनों में ही उच्च स्थानों पर आसन्न थे, श्री चरण सिंह के प्रयत्नों को विफल कर दिया । इन लोगों ने यह तर्क दिया कि देश के किसान अब धनी तथा शिक्षित हैं और उनमें व्यापारियों का सामना करने की शक्ति पैदा हो चुकी है । उन्होंने श्री चरण सिंह के सुझाव को कृषि क्षेत्र पर अनावश्यक नियंत्रण बताते हुए यह कहा कि जनता किसी भी किस्म का नियंत्रण पसन्द नहीं करती । अतः उनके अनुसार श्री चरण सिंह का उपाय बिल्कुल बेकार था । यह लोग इस बात को भूल गये कि इस तरह के अधिनियमों को उन विकसित देशों में भी बनाया जाना पड़ा जहाँ पूर्ण साक्षरता पाई जाती थी । इस बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया कि इस उपाय

के अंतर्गत बाजार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा पर नहीं बल्कि उत्पादक और व्यापारी वर्गों में से अधिक चालाक वर्ग के अनाचार पर नियंत्रण रखा जाना था ।

जून, १९३६ में उन्होंने 'किसान की मिलकियत' (जिसकी करणी, उसकी भरणी) नामक एक पुस्तिका लिखी । दिसम्बर १९३६ में उन्होंने 'जोतों के एक निश्चित न्यूनतम सीमा के नीचे उपविभाजन पर रोकथाम' शीर्षक से एक अन्य पुस्तिका की रचना की तथा 'भूमि उपयोग बिल' तैयार किया । जिसके अंतर्गत उत्तर-प्रदेश में कृषि जोतों के स्वामित्व का अधिकार ऐसे काश्तकारों या किसानों को दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया जो सरकारी कोष में वार्षिक लगान के दस-गुना के बराबर की रकम अपने भू-स्वामी के नाम जमा करने के लिए तैयार थे । बाद में वही प्रस्ताव भूमि सुधार कार्यक्रम का आधार बना ।

अप्रैल, १९३६ में श्री चरण सिंह ने कांग्रेस विधायक दल की कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह कहा गया था कि एक अच्छी सरकार के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके कर्मचारियों के विचार व उनका दर्शन उस वर्ग के अनुरूप हों जिनके लिए वे प्रशासन चला रहे हैं और इस कारण कुल सरकारी नौकरियों का कम से कम ५० प्रतिशत किसानों के बेटों और उनके आश्रितों के लिए आरक्षित कर दिया जाना चाहिए । परन्तु इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया । मार्च १९४७ में उन्होंने इस विषय पर अपने विचारों की व्याख्या करते हुए एक लम्बा तर्क संगत लेख लिखा और इसे कांग्रेस के सदस्यों के साथ-साथ सार्वजनिक विषयों में रुचि रखने वाले अन्य लोगों को भी दिया । परन्तु इन प्रयत्नों से कोई लाभ नहीं पहुंचा । देश के सार्वजनिक जीवन में गैर-कृषि क्षेत्र के लोगों का प्रभाव सम्पूर्ण था और वातावरण काफी विद्वेषपूर्ण बन गया था । १९६१ में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय सिविल सेवा तथा

भारतीय प्रशासन सेवा के कुल १३४७ सदस्यों में से केवल १५५ या ११.५ प्रतिशत लोग ही किसान वर्ग से सम्बन्धित थे। श्री चरण सिंह ने १९३६ के ऋण निर्मोचन बिल के प्रतिपादन तथा उसे अन्तिम रूप देने के कार्य में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया। इस बिल से ऋण-ग्रस्त किसानों को बहुत राहत मिली। अगस्त, १९३६ में उन्होंने १६ पृष्ठों की एक पुस्तिका और एक लेख लिखा (जो 'नेशनल हेराल्ड' में प्रकाशित हुआ) जिसमें उन्होंने बिल के प्रावधानों को स्पष्ट किया और उसके आलोचकों के तर्कों का भी उत्तर दिया। विभिन्न समितियों में हुए बहस के दौरान श्री चरण सिंह तथा उनके साथियों को यह देख कर काफी धक्का पहुंचा कि कांग्रेस समाजवाद दल के जो बड़े-बड़े नेता सार्वजनिक सभाओं में जोरों से किसानों व श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का व्रत लेते थे, उन्होंने समितियों में कड़ा साहूकार-समर्थक रुख अपनाया।

भूमि सुधार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने सारे देश का पथ-प्रदर्शन किया है। इस राज्य में जमींदारी प्रथा को जड़ से उखाड़ जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भूमि के पट्टे का मामला बहुत जटिल था और साथ ही इस राज्य का आकार भी बहुत बड़ा है। इन कारणों से राज्य में जमींदारी उन्मूलन एक अत्यन्त ही कठिन कार्य था। इस भारी कार्य में सफलता का पूरा श्रेय हर तरह से श्री चरण सिंह को ही जाता है। भूमि सुधार से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों में सम्मिलित प्रत्येक धारणा के जन्मदाता वे ही हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के अलग-अलग पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए बीसियों तर्क युक्त लेख लिखे, रेडियो पर वार्ताएं प्रसारित कीं और इस विस्तृत राज्य के प्रत्येक इलाके में विशाल जनसभाओं में अनगिनत बार कई घंटों तक इस विषय पर भाषण दिया। भूमि सुधार से सम्बन्धित प्रत्येक कानून को इतनी सफाई के साथ प्रतिपादित किया गया और इनके मसौदे इतने स्पष्ट थे

कि अन्य राज्यों के विपरीत उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका ने इनमें से किसी भी कानून को रद्द नहीं किया।

इस क्षेत्र में श्री चरण सिंह की सभी उपलब्धियों का पूरा विवरण देने के लिए एक पूरे ग्रन्थ की आवश्यकता होगी। परन्तु इनमें से कुछ सफलताएँ इस प्रकार हैं।

१ जुलाई, १९५२ को कानून संग्रह ने सम्मिलित के जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी मैदानी इलाकों की समस्त भूमि का स्वामित्व सरकार के हाथों में चला गया, फिर भी सभी पुराने भूस्वामियों या जमींदारों को 'भूमिधर' (अर्थात् भूमि के धारक) घोषित किया गया जिसके अनुसार उन्हें ऐसी भूमि जिस पर वे स्वयं खेती कर रहे हों, भूमि के उन टुकड़ों पर स्थित कुओं और वृक्षों और साथ-साथ ऐसे मकान और इमारतें जिन पर उनका कब्जा हो—इन सबका उपयोग करने और उनका हस्तांतरण करने का निर्बन्ध अधिकार दिया गया। सभी काश्तकारों को उन जोतों का 'सीरदार' (अर्थात् हल चलाने वाले) घोषित किया गया जिन पर वे हल चला रहे थे। उन्हें कृषि कार्यों बागवानी तथा पशुपालन के लिये भूमि के उपयोग का पूरा अधिकार दिया गया परन्तु भूमि के हस्तांतरण का अधिकार सीरदारों को नहीं दिया गया। ऐसे सीरदारों को जिन्होंने अपने लगान के दस-गुना के बराबर की रकम सरकार के नाम जमा कर दी, लगान में ५० प्रतिशत कटौती का हकदार बनाया गया और उनकी तरक्की कर 'भूमिधर' का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय योजना आयोग ने अन्य राज्यों को भी इस परियोजना को, जिसे भूमिधर परियोजना कहा गया, अपनाने का सुझाव दिया जिसे लगभग सभी राज्यों ने स्वीकार किया।

सभी जमींदारों या भूस्वामियों सरकार द्वारा गारंटी किए गए बान्ड के रूप में समान दर पर मुआवजा दिया गया परन्तु छोटे भूस्वामियों को इसके साथ-साथ पुनर्वास अनुदान भी दिया

गया जिसकी दर ऐसे भूस्वामियों के लिए कम थी जिनके पास अधिक भूमि थी और उन लोगो के लिए अधिक थी जिनके पास अब थोड़ी सी ही भूमि रह गई थी। कुछ-कुछ इस अनुदान की दर इन लोगो के द्वारा अदा किए गए लगान की रकम के विपरीत अनुपात में थी। महाजनो के चंगुल से कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए एक अलग कदम उठाया गया जिसके अनुसार ऋणों के भार में यथानुपात कमी कर दी गई।

कानून के अंतर्गत यह तय किया गया सीरदारों तथा भूमि-धरों द्वारा अदा किए जाने वाले लगान की रकम में अगले ४० वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। १९६२ में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा लगान की रकम में ५० प्रतिशत वृद्धि करने के प्रस्ताव का विरोध करने में श्री चरण सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई।

देश भर में बिना इस बात पर ध्यान दिए कि काश्तकार किस किस्म के हैं, भूस्वामियों को व्यक्तिगत खेती के लिए एक निश्चित सीमा तक काश्तकारों द्वारा जोती जाने वाली भूमि के पुनर्ग्रहण का अधिकार दे दिया गया। बम्बई और पंजाब में यह सीमा ५० एकड़ पर निश्चित की गई और हैदराबाद में इसे आर्थिक जोत की अपेक्षा पाँच गुना बड़ी भूमि के बराबर तय किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में पुनर्ग्रहण के सिद्धान्त का समर्थन किया गया परन्तु यह सुझाव भी रखा गया कि पुनर्ग्रहण की अधिकतम सीमा पारिवारिक जोत के तीन-गुना के बराबर तय किया जाना चाहिए।

इस सुझाव को लागू करने का परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर काश्तकारों को भूमि से बेदखल किया जाने लगा। इनमें मौरूसी काश्तकार भी शामिल थे जिन्हे अंग्रेजो के शासन-काल से ही भूमि पर स्थाई और पुश्तैनी दखलकारी अधिकार मिला हुआ था। श्री चरण सिंह ने योजना आयोग की सिफारिश

को अस्वीकार कर उत्तर प्रदेश में किसी भी काश्तकार को भूमि से बेदखल होने नहीं दिया। इसके विपरीत राज्य में कांग्रेस के कुछ प्रमुख सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद १९५४ में कानून में संशोधन कर उन सभी वर्गों को सीरदारी का स्थाई अधिकार प्रदान कर दिया गया जिन्हें मालगुजारी के दस्तावेजों में उप-काश्तकार, सीर के काश्तकार, खुदकाश्त या अतिचारी भी माना गया और जिनको जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत अधिवासियों का दर्जा दिया गया था। १९४७ या १९४८ में जारी किए गए सरकारी आज्ञा के अनुसार इन लोगों की बेदखली पर ही पहले से रोक लगा दी गई थी। इस संशोधन से हरिजनों को अत्याधिक लाभ हुआ क्योंकि राज्य के लगभग ३० लाख अधिवासियों में उनका अनुपात एक-तिहाई था।

कुमायूं क्षेत्र के गैर मौरूसी काश्तकारों को जिन्हें सीरतन कहा जाता है और जिनमें से लगभग सभी अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं, प्रमुख स्थानीय नेताओं के विरोध के बावजूद सीरदारों का दर्जा दे दिया गया। इस आशय का एक बिल १९५८ में प्रस्तावित किया गया और इस पर प्रवर समिति की रिपोर्ट अगले मार्च में श्री चरणसिंह के त्यागपत्र देने से पहले ही प्राप्त हो गई।

जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार नियम के अंकित होते ही सरकार को ऐसी कई शिकायतें प्राप्त होने लगीं कि अधिवासी वर्ग में शामिल बहुत से लोगों के मालगुजारी के दस्तावेजों में या तो दर्ज ही नहीं किया गया या फिर दर्ज होने के बावजूद कुछ काश्तकारों को छल या बल से बेदखल किया जा रहा था और कुछ को पहले बेदखल कर दिया गया था। इस स्थिति को सुधारने के लिये दो उपाय किये गये। जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम की धारा ३४२ के अंतर्गत जारी किए गए एक सरकारी आज्ञा के अनुसार बेदखल किए गए अधिवासियों को जोत पर दोबारा कब्जा प्राप्त करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत

दिये गये ६ महीने की अवधि को बढ़ा कर एक वर्ष तक जोत पर कब्जा प्राप्त करने की अनुमति दी गई। दूसरा नवम्बर, १९५२ में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार (अनुपूरक) अधिनियम नाम के विधेयक को कानून-संग्रह में अंकित किया गया जिसके अंतर्गत उपखंड अधिकारियों के साथ-साथ इस कार्य के लिये विशेष तौर पर प्राधिकृत कुछ तहसीलदारों को भी यह अधिकार दिया गया कि संक्षिप्त जांच-पड़ताल के बाद वे जिस किसी भी व्यक्ति का कब्जा पाएं उसका नाम तत्काल मालगुजारी के दस्तावेजों में चढ़ा दें।

भूतपूर्व जमींदारों को यह अधिकार स्वामित्व के प्रसंग में पहले से ही दे दिया गया था। अब अन्य सभी ग्रामवासियों को भी, चाहे वे काश्तकार हों, श्रमिक हों या शिल्पी उनके अपने मकानों, कुओं और साथ जुड़ी हुई भूमि का और आबादी में उनके वृक्ष हों तो उनका स्वामी घोषित कर दिया गया। इस अधिकार के बदले में उन्हें कोई भी कीमत अदा करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रावधान से भी एक बार फिर हरिजनों को बहुत लाभ पहुंचा जिन्हें जमींदार जब चाहे उनके मकान से भी बेदखल कर सकता था।

ऐसी भू को छोड़ कर जो कि कृषि जोत के रूप में पूरी तरह से विभिन्न व्यक्तियों के कब्जे में हो या जिस पर बाग, मकान या कुएं पाये जाते हों, बाकी सारी भूमि सरकार ने अपने हाथों में कर ली और ग्राम या ग्राम समुदाय पंचायत को उसके प्रबंध और विकास का उत्तरदायित्व सौंप दिया। एक 'ग्राम समाज पुस्तिका' भी प्रकाशित की गई जिसमें पंचायतो के अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तृत विवरण दिया गया और जो कि बाद में अन्य राज्यों में उस विषय में पथ प्रदर्शक के रूप में इस्तेमाल की गई।

इस प्रकार एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ सम्बन्धों में सामन्तवाद के सभी बन्धनों को तोड़ दिया गया। शोषण के एक

ही झटके में समाप्त कर दिया गया और अब ग्राम में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो अपनी भूमि, मकान या रमोई, पेड़ या कुएं के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित हो। उत्तर प्रदेश के विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र कोई जमींदार-काश्तकार, कोई लंबरवाद-रैयत नहीं बचा।

जिसी भी सिद्धान्त को कानून-संग्रह में शामिल किया गया उसे व्यवहार में लागू भी किया गया। श्री चरणसिंह ने इस बात का पूरा इंतजाम किया कि सरकारी आजाओं के विस्तृत विवरण तुरन्त जिला स्तर तक पहुंचाए जा सकें और प्रत्येक महत्वपूर्ण आजा को जारी करने से पहले उनके साथ विचार-विमर्श किया जाए। राज्य के किसी भी कोने में छोटे-से-छोटे व्यक्ति को भी तंग किये जाने या उसे बेदखल करने की चेष्टा किए जाने पर समस्त मालगुजारी संगठन को स्थिति को सुधारने के लिए एकदम हरकत में लाया जाने लगा।

प्रांतीय शोषित संघ की उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के पिछड़े हुए वर्गों तथा हरिजनों के उग्र सदस्यों का तीव्र गति से बढ़ता हुआ एक संगठन—एकमात्र आर्थिक और भूमि संबंधी मांग थी। सीर के काश्तकारों और उप-काश्तकारों को काश्त अधिकार की सुरक्षा प्रदान किया जाना। शायद अप्रैल, १९५० में इलाहाबाद जिले के भीतरी हिस्से में आयोजित एक जन सभा में श्री चरण सिंह ई कांग्रेस सरकार द्वारा तथाकथित अतिचारियों समेत सभी सभ्य अधिवासियों को सीरदारी का दर्जा देने के इरादे की घोषणा की जिसका बिजली का सा असर पड़ा और शोषित संघ लगभग भंग हो गया। संघ के कार्यकर्ताओं को अब कोई शिकायत नहीं थी और भूमि सुधार के क्रांतिकारी स्वरूप से आकर्षित होकर इनमें से कई कार्यकर्ता कांग्रेस में भर्ती होने लगे। परन्तु जातियों से सम्बन्धित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को और विशेष तौर पर उन को जो पूर्वी जिलों के निवासी थे, इस तरह के परिणाम बहुत अप्रिय लगे।

विवरण जारी रखते हुए जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम ने इस बात का भी प्रबन्ध किया कि भविष्य में यदि शारीरिक और मानसिक तौर से दुरुस्त कोई भी भूमिघर या सीरदार द्वारा जोत को पट्टे पर दे तो उसकी भूमि जब्त कर ली जाएगी। इस प्रावधान से भविष्य में जमींदारी के दोबारा उत्पन्न न होने की व्यवस्था की गई।

इस बात का प्रबन्ध करने के लिए दोबारा भूमि के स्वामित्व का कुछ ही लोगों में केन्द्रीकरण न हो, श्री चरण सिंह ने यह प्रावधान प्रस्तुत किया कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को (उस का पति पत्नी तथा नाबालिग बच्चों समेत) १२.५ एकड़ या २० मानक बीघों को सीमा से अधिक भूमि रखने नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर, यह भी प्रावधान रखा गया कि जब कभी भी किसी विभाजन के मुकदमे में कचहरी के सम्मुख रखी गई जोत का आकार ३.१२५ एकड़ अथवा ५ मानक बीघों से अधिक नहीं होगा, कचहरी उसको विभाजित करने के बजाए उस जोत को बेचने तथा इससे प्राप्त आय का सभी हिस्सेदारों के बीच बँटवारा करने का निर्देशन देगी।

दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा ७० के अंतर्गत पहले से हो यह व्यवस्था कर दी गई थी कि किसी भी धन डिगरी का अमल करने में किसान के कब्जे की इमारतें और मकानों की कुर्की या बिक्री नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब गिरवी की डिगरी में भी बिक्री से छूट दे दी गयी।

कारखाने, स्कूल, अस्पताल या किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के विषय में श्री चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के भूमि अधिग्रहण कानून पुस्तिका में इस आशय का एक नियम जोड़ दिया कि यदि उस स्थान से आधे मील के घेरे में कोई ऊपर भूमि, अर्थात् ऐसी भूमि जो कृषि कार्यों के लिए अयोग्य है, उपलब्ध हो तो कृषि योग्य भूमि का

अधिग्रहण नहीं किया जा सकता । लगभग पन्द्रह वर्षों के पश्चात् भारत सरकार ने भी अपने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भी इसी तरह का संशोधन कर उत्तर प्रदेश का अनुसरण किया ।

राज्य के कुछ हिस्सों में, विशेषकर शहरों में, जर ए चहरूम की प्रथा पाई जाती थी जिसके अंतर्गत भूस्वामी या किसी इमारत का पट्टादाता इमारत के क्रेता या विक्रेता से उसकी कीमत का एक अंश, साधारणतया एक चौथाई भाग वसूल कर सकता था । इस प्रथा को समाप्त कर दिया ।

पूर्वक्रय कानून को, जिसके अनुसार भूस्वामी को किसी भी हिस्सेदार द्वारा भूमि के किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के हकशफा का अधिकार प्राप्त था, अब खत्म कर दिया गया । इस कानून के कारण मुकदमेबाजी तथा भ्रष्टाचार बढ़ गए और इसकी समाप्ति से किसानों को बहुत राहत मिली ।

जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम की धारा १६८ में यह प्रावधान रखा गया था कि भूमि प्रबंध समिति द्वारा खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली भूमि को प्राप्त करने का शिक्षण संस्थाओं के बाद भूमिहीन लोगों के वर्ग को ही अधिकार होगा । साथ ही जब कि अन्य उम्मीदवारों तथा भूमि प्राप्त करने वालों को इस भूमि के लिए पुश्तैनी दर पर निर्धारित लगान के दस गुना के बराबर की रकम की अदायगी करनी थी, अनुसूचित जातियों के किसी भी सदस्य से यह रकम नहीं ली जानी थी । इसी धारा के नियमों में भूमि प्रबंध समिति की अढ़दी भूमि के बंटवारे में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्राथमिकता दिये जाने की भी व्यवस्था की गई थी ।

जमींदारी उन्मूलन अथवा भूस्वामी काश्तकार सम्बन्धों की समाप्ति और सारे राज्य में काश्त की समानता के लाये जाने से अब जोतो की चकबन्दी करने का कार्य आसान हो गया । अतः

श्री चरण सिंह ने बिना समय नष्ट किये इसके लिये आवश्यक कानून बना दिया और सम्बन्धित कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की परन्तु समाजवादी दल के नेताओं तथा श्री चरण सिंह के ही कुछ साथियों ने चकबन्दी कार्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह परियोजना लोगों को अप्रिय लगी और इससे कांग्रेस सरकार की बदनामी होने का भय था। १९५६ में श्री चरण सिंह के त्यागपत्र देने के बाद डा० सम्पूर्णानन्द के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में श्री चरण सिंह के उत्तराधिकारी ठाकुर हुकम सिंह के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को लागू न करने का सुझाव दिया गया था। परन्तु एक महीने के अन्दर ही किसानों के विरोध तथा राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा कार्यक्रम को दोबारा आरम्भ करने के आग्रह पर सरकार को इस निर्णय को रद्द करना पड़ा। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि श्री चरण सिंह के सहयोगियों के ग्राम जनता की समस्याओं की कितनी जानकारी थी और उनके लिए वह क्या कुछ कर सकते थे। आज यह बात सर्वसम्मति से मानी जाती है कि जोतों की चकबन्दी राज्य के किसान वर्ग के लिए एक वरदान है।

लगान वसूल करने वालों या बड़े भूस्वामियों के आय पर कर लगने के उद्देश्य से श्री चरण सिंह ने कृषि आयकर अधिनियम को, जिसे १९४८ में बनाया गया था, रद्द कर दिया। जहाँ तक भूस्वामियों का सम्बन्ध था १९५२ में जमींदारी उन्मूलन के बाद यह अधिनियम बेकार हो गया था और इससे भ्रष्टाचार के बढ़ने के साथ-साथ उन लोगों को परेशानी हो रही थी जो कि अपनी भूमि पर वास्तव में खेती कर रहे थे। इसके स्थान पर श्री चरण सिंह ने बड़े कृषि जीतों के करायान का अधिनियम बनाया जो कि किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ क्योंकि यह भ्रष्टाचार और परेशानी से उनको बचाता था। इससे राज्य को यह लाभ पहुंचा कि इस अधिनियम के अनुसार कर का

निर्धारण करने पर बेईमान किसान अपनी आय छिपा नहीं सकते थे। साथ ही अधिनियम के अनुसार आरोही कर लगाये जाने के परिणामस्वरूप, जिसकी दर जोत के आकार के साथ-साथ बढ़ती जाती थी, यह सामाजिक न्याय की स्थापना में भी सहायक सिद्ध हुआ। कराधान की इस प्रणाली में बागवानी के लिए इस्तेमाल की गई भूमि पर छूट दी गई जिससे कि अधिक से अधिक भू-क्षेत्र पर पेड़ लगाये जा सकते थे। यह इस अधिनियम का एक दीर्घ-कालीन सार्वजनिक लाभ था।

१९५६ में श्री चरण सिंह के इस्तीफा देने के बाद बड़े जोतों के इस अधिनियम के स्थान पर एक अधिकतम सोमा आरोपण अधिनियम बनाया गया जिसका स्वरूप ऐसा था कि इस नियम के अंतर्गत भूमिहीन लोगों के बीच बांटने के लिए उपलब्ध भू-क्षेत्र में कमी हो गई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बड़ी जोत के स्वामियों को अपनी भूमि को रिश्तेदारों में बांट देने के लिए पर्याप्त समय दे दिया। इससे न केवल सरकार काफी अधिक आय की प्राप्ति से वंचित रह गई बल्कि सरकारी खजाने पर मुआवजों के रूप में भारी बोझ पड़ा।

एक तरफ अभी जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम लागू किया ही गया था और परिणाम स्वरूप आवश्यक प्रक्रियाओं का प्रबंध किया जा रहा था और दूसरी तरफ राज्य के २८००० पटवारी, जो कि मालगुजारी प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, वेतन में वृद्धि तथा अन्य सुविधाओं के लिए आन्दोलन कर रहे थे। श्री चरण सिंह ने उन्हें एक महीने तक और प्रतीक्षा करने की सलाह दी परन्तु इससे पहले ही पटवारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। उनका विचार था कि इससे राज्य ने मालगुजारी प्रशासन का ठप्प हो जाएगा और फलस्वरूप राज्य सरकार घुटने टेक देगी। श्री चरण सिंह ने पटवारियों के इस्तीफों को फौरन स्वीकार कर लिया और तुरन्त 'लेखपालों' की संस्था

शुरू की। लेखपालों को पटवारियों की अपेक्षा कम अधिकार दिए गए। श्री चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के ऊँचे स्तरों पर कड़े विरोध का सामना किया परन्तु फिर भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने सहयोगियों और नेताओं को बताया कि यदि सरकार अपनी बात पर अड़ी रहे तो अगले दस वर्षों तक सरकारी कर्मचारी हड़ताल करने या सरकार को धमकियाँ देने के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। अगले १३ वर्षों के लिए उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई, अर्थात् १९६६ तक जब श्रीमती सुचेता कृपलानी के दिनों में राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों ने हड़ताल कर नौ सप्ताह के लिए लगातार प्रशासन व्यवस्था को ठप्प कर दिया। इस विषय में श्री चरण सिंह के एकाकी सलाह पर राजनीतिक कोई ध्यान नहीं दिया गया।

लाखों छोटे-बड़े जमींदारों को दिए जाने वाले मुआवजे तथा पुनर्वास अनुदान की रकम के निर्धारण तथा उसकी अदायगी के लिए (यह रकम लगभग दो हजार करोड़ रुपये थे) एक सस्ते और प्रभावकारी संगठन की स्थापना की गई जिसने अपना कार्य रिकार्ड समय में पूरा किया। इसके अतिरिक्त लगान की वसूली के लिए भी एक संगठन बनाया गया जो कि आज तक बिना किसी कठिनाई के सुचारु रूप से काम करती आई है और जिस पर राज्य सरकार को बहुत कम रकम व्यय करना पड़ता है।

कृषि प्रशासन के नये ढाँचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि अभिलेख पुस्तिका में सुधार किया गया। यहाँ पर यह भी बताया जाय कि तहसीलों को पुनर्गठित किया गया और विभिन्न जिलों के कई अन्तः क्षेत्रों को, जो कि सदियों से कायम थे और जिनकी वजह से प्रशासन में काफी गड़बड़ पैदा होती थी, समाप्त कर दिया गया।

जनवरी, १९५९ के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में श्री चरण सिंह ने तहकारी खेती तथा खाद्यानों में राज्य द्वारा व्यापार के विपक्ष

में जोरदार तर्क प्रस्तुत किए। यह दोनों विषय पण्डित जवाहर लाल नेहरू को अत्यन्त प्रिय थे। श्री चरणसिंह ने कहा कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और श्रम को इकट्ठा कर प्रयोग करना अनावश्यक है। उनके इन दोनों ही योजनाओं को अव्यावहारिक तथा देश के प्रजातन्त्रात्मक जीवन पद्धति के विरुद्ध घोषित किया। सहकारी खेती से उत्पादन बढ़ने के बजाय घट जाएगा और खाद्यान्नों के व्यापार में सरकार के भाग लेने से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होगा और भ्रष्टाचार बढ़ने लगेगा। कुछ हद तक इस तरह के विचारों में आस्था रखने और उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के परिणामस्वरूप ही १९५६ में उनके त्याग-पत्र को स्वीकार किया गया। परन्तु श्री चरणसिंह के दृष्टिकोण के पीछे जनता और देश की भावना था। अतः वे बिना पीछे हटे या विचलित हुए अपनी बात पर अड़े रहे। १९५६ से हमने दिल्ली के अनेक प्रधान मंत्री तथा खाद्य व कृषि मंत्रियों को देखा और उनके कई चुनौती भरे भाषणों और वक्तव्यों को सुना व पढ़ा। परन्तु देश आज भी सहकारी खेती और सरकारी व्यापार से मीलों दूर है।

उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार नियमों की आज वही स्थिति है जहाँ उसे १९५६ में श्री चरणसिंह ने छोड़ा था। तराई का छोटा सा इलाका और उसके समीप का भाभर—राज्य के यही दो ऐसे छोटे से हिस्से थे जिनको काश्त की कुछ जटिलताओं और श्री चरणसिंह के पाव समय की कमी के कारण जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम के परिवेश में सम्मिलित नहीं किया गया और जहाँ भूमिधरी परियोजना लागू नहीं की जा सकी। इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक इच्छा और दूर-दर्शिता न तो उस सज्जन में थी जिन्होंने राजस्व विभाग का भार सम्भाला और न ही उन मुख्य मंत्रियों में पाई गई जो कि १९५६ से राज्य के भाग्य विधाता बने हुए थे।

एक अन्य उदाहरण; श्री चरणसिंह ने बड़े शहरों के पुरवाओं के मकानों में रहने वाले लोगों को उनके मकानों के स्वामित्व का अधिकार दिलाने के लिए एक कानून बनाना चाहते थे और इस उद्देश्य से उन्होंने कागजी कार्यवाही भी आरम्भ कर दी थी। यह किरायेदार या निवासी हालाँकि मकान के निर्माण में लगी सामग्री के स्वामी होते हैं पर जिस जमीन पर यह मकान खड़े हैं उनके मालिक किसी भी बहाने से और पहले अवसर पर उनका किराया बढ़ा सकते हैं या इनको मकानों से निकाल सकते हैं। परन्तु श्री चरणसिंह ने १९५६ में इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजस्व विभाग इन्हें कभी भी नहीं मिला। इस कारण परिस्थिति अब भी वही है जो कि उस समय थी।

ऊपर भूमि सुधार कार्यक्रम के विषय में जो कुछ कहा गया उसके सबूत के तौर पर हम श्री वुल्फ लेजेन्स्की द्वारा योजना आयोग को १९६३ में प्रस्तुत किए गए एक रिपोर्ट का उल्लेख कर सकते हैं। श्री लेजेन्स्की कृषि सम्बन्धी मामलों में विशेषज्ञ थे और उन्हें फोर्ड फाउण्डेशन ने भारत के तथाकथित पैकेज अथवा गहन कृषि विकास कार्यक्रम वाले जिलों में भूधारण पद्धति के कृषि उपज पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भेजा था। वे अमरीकी कब्जे के अंतर्गत जापान में भूमि सुधार कार्यक्रम आरंभ करने के उत्तरदायी थे। वे कहते हैं।

“...केवल उत्तर प्रदेश में ही सुस्पष्ट और विस्तृत बनाए गये हैं और प्रभावकारी तरीके से इन्हें लागू किया गया है। वहाँ लाखों काश्तकारों और उपकाश्तकारों को स्वामी बना दिया गया और सैंकड़ों हजारों ऐसे लोगों को जिन्हें बेदखल कर दिया गया था उनके अधिकार वापस दिलाया गया।” (पृष्ठ ३)

“सुधार कानूनों के बनाये जाने के डेढ़ दशक बाद अलीगढ़ के कृषि ढाँचे (अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का पैकेज जिला था) पर ध्यान देने के बाद केवल सीरदारों के विषय को छोड़ कर जिसकी

हम पहले चर्चा कर चुके हैं, हमारे पास न तो उसमें कुछ जोड़ने का और न ही संशोधन करने का कोई सुझाव है। भारत में कृषि सुधार के कई एवं कानून मृतजात ही रहे हैं, परन्तु उत्तर प्रदेश में इसको साथ-साथ लागू भी किया गया और महत्त्वपूर्ण सफलतायें भी प्राप्त की गईं। इससे केवल एक ही सबक सीखा जा सकता है : जब कभी इस कार्य को करने की इच्छा होगी, इसे पूरा किया जा सकता है। अभिलेखों में दर्ज लाखों गलतियों को सुधारा जा सकता है, भूमि के सही हकदारों का रिकार्ड रखा जा सकता है और काश्त अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जा सकती है...।

श्री लेजेन्स्की जोनो की चकबंदी को एक 'जोरदार और सफल कार्यक्रम' बताते हैं और आगे जाकर कहते हैं, "ऐसे ग्रामों में जहाँ चकबन्दी का कार्य दो वर्ष पहले समाप्त हो चुका था, हमें कार्यक्रम के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ें। चकबन्दी वाली भूमि पर बनवाये गए सतही कुओं की संख्या में इसका सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम देखा जा सकता है।" (पृष्ठ ५७)

६ मितम्बर, १९६४ को 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में प्रकाशित एक लेख में श्री लेजेन्स्की दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के भूमि सुधार कानूनों पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रदेश की चर्चा इन शब्दों में करते हैं।

"प्रणामनिक समस्यायें (इन) सुधारों को लागू करने के रास्ते की बहुत बड़ी बाधा हैं। दूसरी ओर, भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है यदि सामना करने की इच्छा है तो यह कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसे दूर न किया जा सकता हो। अधिक प्रासंगिक (समस्या) कई कानूनों का दोषपूर्ण अन्तर्विषय है।"

भूमि सुधार कानूनों के इतिहास ने शायद किसी भी और स्थान पर कानूनों के इतने पक्के और व्यापक स्वरूप का उदाहरण नहीं मिल सकेगा। परन्तु यह एक विडम्बना है कि यद्यपि भूमि सुधार कार्यक्रम के मूल में निहित श्री चरणसिंह की नीतियों से कांग्रेस नेताओं का वह शपथ प्रत्यक्ष रूप से पूरा होता था जो कि उन्होंने अंग्रेजों के समय में ही खूब जोर-शोर से लिया था, लेकिन फिर भी उनको भूमि सुधार के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण उपाय में कांग्रेस पार्टी के स्वार्थी वर्गों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। बड़े-बड़े लोग—वो भी जो कि प्रगतिवादियों या समाजवादियों का चोला पहन कर अपने आपको एक साधारण कांग्रेसी की अपेक्षा शोषित वर्ग का अधिक हितैषी बताते थे, समय आने पर कमजोर ही नहीं पाए गए, बल्कि काम की बात पर अपने व्यक्तिगत और वर्ग स्वार्थ के लिए उसी शोषित वर्ग के विरुद्ध वे एक प्रभावशाली समूह के रूप में खड़े हो गए। श्री चरणसिंह को गुलदस्तों के स्थान पर अपने सहयोगियों का गुस्सा और विरोध ही प्राप्त हो सका।

अधिवामियों को मीरदारी के अधिकार दिए जाने के प्रावधान तथा भविष्य में वर्तमान कायदाकारों व उपकायकारों से भूमि के पुनर्ग्रहण पर पाबंदी लगाने वाले प्रावधानों की अत्यधिक आलोचना की गई जिस कार्य में पूर्वी जिलों के लोगों ने विशेष रुचि दिखाई। इसका कारण यह था कि इन इलाकों के अधिकतर राजनीतिक कार्यकर्ता समाज के ऊंचे वर्गों से सम्बन्धित थे जो कि बजाय भूमि पर स्वयं ही खेती करने के उसे पिछड़े वर्गों के सदस्यों को पट्टे पर दे दिया करते थे। इस विषय में कांग्रेस तथा समाजवादी दल के सदस्यों के बीच कोई भी अन्तर नहीं था।

सामाजिक न्याय की स्थापना के अलावा उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार की सहायता से प्रजातन्त्रात्मक पद्धति को भी मशकत

बनाया जाना था। परन्तु श्री चरणसिंह की नीतियों के आलोचकों की दृष्टि में इन उद्देश्यों का कोई महत्त्व नहीं था। समय के साथ अब यह सिद्ध हो गया है कि पंत जी के बाद राज्य की साधारणतया प्रतिकूल राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के बावजूद यदि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अन्य राज्यों की तरह साम्यवाद की पकड़ मजबूत नहीं हो पाई है तो इसका प्रमुख कारण भूमि सुधार ही है।

इससे भी अधिक खेद यह कहते हुए होता है कि कुछ प्रमुख कांग्रेसियों ने पुराने इतिहास से बिना कुछ सीखे कार्यक्रम के एक दशक के बाद भी भूमि सुधार को धीरे-धीरे विफल करने का प्रयास किया। १९६५-६६ में भी दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और उन पर गम्भीरता से विचार किये गये इनमें से एक, सभी सीरदारों और भूमिधरों को भूमि को उप-पट्टे पर चढ़ाने का अधिकार दिए जाने के बारे में था जब कि दूसरे प्रस्ताव में भविष्य में भूमि की प्राप्ति पर १२.५ एकड़ की अधिकतम सीमा को सामान्य तौर पर या कम-से-कम बागों और फलोद्यानों के क्षेत्र में हटा दिए जाने का सुझाव दिया गया था। श्री चरण सिंह इन प्रस्तावों का जोरदार विरोध किया और इन चेष्टाओं को सफल नहीं होने दिया।

जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि की चकबन्दी दोनों ही निसंदेह कृषि उपज को बढ़ाने में अत्यंत सहायक थे और इन उपायों का श्रेय श्री चरण सिंह को ही जाता है। परन्तु इनके अलावा भी उन्होंने राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसका वर्णन भी यहाँ हम भूमि सुधार की तरह संक्षिप्त में ही कर सकते हैं।

१९५४ में उन्होंने कानून-संग्रह में भूमि संरक्षण अधिनियम को शामिल किया। देश में शायद वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया था। भूमि संरक्षण को कानपुर के राजकीय कृषि महाविद्यालय के दो वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

में एक अलग विषय के रूप में आरम्भ करवा कर एक बार फिर उन्होंने इस क्षेत्र में सारे देश में पहल की। १९५४ के इस अधिनियम को, जिसको उन्होंने १९६१ में संशोधित कर भूमि व जल संरक्षण अधिनियम का नाम दिया था, इतनी बुद्धिमत्ता के साथ तैयार किया गया और इतनी कुशलता के साथ लागू किया गया कि इसकी न केवल समस्त किसान वर्ग ने बल्कि राजनीतिक विपक्षियों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की। यहाँ यह बताना अनुचित नहीं होगा डा० सम्पूर्णानन्द १९५४ के अंत में मुख्य मंत्री पद को सम्भालने के बाद श्री चरण सिंह से कृषि विभाग का भार वापस ले लिया गया था। भूमि संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न नियमों को अंतिम रूप देने में श्री चरण सिंह ने कृषि विभाग से भार-मुक्त होने के बाद चार वर्ष तक परिश्रम किया और तब जाकर कहीं उन्हें यह सफलता प्राप्त हो सकी।

भूमि परीक्षण परियोजना भी, जो कि राज्य में आज तक कार्यशील है, श्री चरण सिंह के ही दिमाग की उपज थी और उन्होंने इसको तैयार किया था। परियोजना के अंतर्गत काफी दूरदर्शिता के साथ इस बात का प्रबन्ध किया गया कि सरकारी साधनों और प्रयत्नों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र के कृषि महाविद्यालयों के साधनों का भी लाभ उठाया जा सके।

१९६३ तक कृषि के लिए आवश्यक पदार्थ केवल सहकारी समितियों के सदस्यों को ही उपलब्ध थे जिनका अनुपात सभी किसानों का केवल ४० प्रतिशत था। ६० प्रतिशत बचे किसानों को भी यह सेवा प्रदान करने के लिए श्री चरण सिंह ने एक कृषि संभरण संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने अपने संस्थापक की आशाओं को कुशलतापूर्वक पूरा किया है।

१९५८ से श्री चरण सिंह जनसभाओं तथा सदन में दिए गए भाषणों में इस बात पर विशेष जोर देते रहे थे कि कृषि

उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि किए बिना देश का आर्थिक विकास असंभव है और यह कि गैर-कृषि क्षेत्रों की समृद्धि कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है, इसका विरोध नहीं। परन्तु उनकी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। श्री चरण सिंह ने यह विचार प्रस्तुत किया कि विकसित या समृद्ध कृषि क्षेत्र से ही—

(क) उद्योगों के पहियों को चलाते रहने के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है;

(ख) कारखानों को चलाने, वाणिज्य, परिवहन तथा अन्य सेवाओं, जैसे बिजली और शिक्षा और सड़कें, रेलवे लाइन, बन्दरगाह और कारखानों के निर्माण कार्य के लिए श्रम शक्ति प्राप्त होती है;

(ग) ऊपर बताए गए विभिन्न गैर-कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त होती है;

(घ) गैर-कृषि क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार माँग उत्पन्न होती है और जितना कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा उतनी ही अधिक क्रय शक्ति इस क्षेत्र में लोगों को प्राप्त होगी और गैर-कृषि क्षेत्र के बाजार में विस्तार होगा; और अन्त में;

(ङ) अनिवार्य गैर कृषि पदार्थों तथा मशीनों के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि के अतिरिक्त श्री चरण सिंह आर्थिक विकास के लिए एक अन्य आवश्यक शर्त पर भी पिछले कई वर्षों से जोर देते आए हैं—मानवीय साधन में सुधार। भौतिक साधनों की सहायता के बिना आर्थिक विकास लाना संभव नहीं है पर इस कार्य को इस स्थिति में भी पूरा नहीं किया जा सकता जब देश में सही किस्म के कुशल व्यक्ति उपलब्ध न हो। जापान के आर्थिक विकास में भौतिक साधनों की अपेक्षा मानवीय साधन अधिक महत्वपूर्ण थे। हमारे देशवासी भाग्यवादी

हैं और संसार को मायाजाल समझते हैं। इस कारण वे कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं रहते। यह भी खेद की बात है कि हममें निष्ठा और ईमानदारी की भी कमी है। अपनी इच्छा में कोई भी अपना कर्तव्य निभाने को तैयार नहीं होता, लोगों से कर्तव्य पूरा करवाने के लिए उनके काम पर हमेशा निगरानी रखना आवश्यक होता है। अधिकारों और मांगों पर सब जोर देने हैं पर कर्तव्यों की कोई बात भी नहीं करता। इस्पात, ऊर्जा, पूँजी, तकनीकी जानकारी इत्यादि उस समय तक बेकार हैं जब तक हमारी जनता के विचारों और रुख में परिवर्तन-मनोवैज्ञानिक परिवर्तन—नहीं होता। इसके लिए देश में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू करना होगा। जिसे पूरा करने में दो नहीं तो कम से कम एक पीढ़ी अवश्य लग जाएगी। श्री चरण सिंह ने कई वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रधान मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि योजना आयोग को भविष्य में मानवीय साधनों के सुधार, सही किस्म की शिक्षा आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर कम से कम कुछ ध्यान अवश्य देना चाहिए। परन्तु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। पं० नेहरू की आर्थिक विकास के लिए लिए भौतिक साधनों पर अधिक आस्था थी।

पिछले काफी समय से अर्थात् १९६४ से वे इस बात का जोरदार समर्थन करते आए हैं कि बड़े किसानों से अधिप्राप्ति लेवी तो वमूल किया जाना चाहिए लेकिन खाद्य क्षेत्रों या जोनों की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। जब तक देश के अन्दर उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती। हम देश में ही प्राप्त किए गए खाद्यान्न अतिरिक्त प्रयोग से खाद्य समस्या का सफलता से सामना कर सकते हैं। खाद्यान्नों का आयात केवल उन वर्षों में ही किया जाना चाहिए जब कि देश में उपज बहुत कम हो। परन्तु केन्द्रीय सरकार में इतना राजनीतिक साहस नहीं रहा कि वह खाद्य क्षेत्रों को समाप्त कर दे और राज्य सरकारें भी

राजनीतिक साहस की कमी के कारण ही किसानों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन सरकार के हवाले करने की आज्ञा जारी नहीं कर पाई— और यह इस बात के बावजूद कि १९६६ के अंतिम चतुर्धाश में भारत सरकार द्वारा निम्नवत एक विशेषतः समिति ने भी इसी आशय के सुझाव दिए थे। खाद्यान्नों का आयात आज भी जारी है और साधारणतया यह आयात देश में खाद्य संकट का सामना करने के लिए नहीं बल्कि इस उद्देश्य से किए जाते हैं कि विदेशी से प्राप्त खाद्यान्नों को देश के अन्दर बेचकर सरकारी बजट में संतुलन करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इस नीति से देश में उत्पादन कम हो जाता है। किसी भी अन्य देश में ऐसी नीति को देश विरोधी माना जाता।

समाचार पत्रों से यह जानकारी प्राप्त होने पर कि भारत सरकार फसलों का बीमा करने की एक परियोजना पर विचार कर रही है, श्री चरण सिंह ने अक्टूबर, १९६५ में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखकर उन्हें इस प्रकार की नीति के अव्यावहारिक होने के बारे में आगाह किया। परन्तु मई १९६६ के बम्बई अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने १९६७ के आरम्भ में होने वाले चुनावों को जीतने के लिए केवल एक आकर्षण के रूप में बिना किसी गम्भीर बहस के इस नीति को अपनाने का निर्णय ले लिया।

खाद्य और कृषि तथा सामान्य आर्थिक विकास के क्षेत्रों में किए गए इन सारी गलतियों के कारण ढूँढ़ना कठिन न था। हमारे आर्थिक नियोजक, प्रशासनिक संवर्ग तथा राजनीतिक नेता सभी का शिक्षण-प्रशिक्षण विदेशी पाठ्य-पुस्तकों के आधार पर सम्पन्न हुआ है जो कि हमारे देश से अलग किस्म की परिस्थितियों के लिए लिखी गई हैं। परन्तु हमारे सभी नारे और धारणाएं इन्हीं पुस्तकों से प्राप्त की गई हैं।

इस अनुभूति के कारण कि कृषि क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है और यह समझते हुये कि भारत की आम जनता किसान वर्ग से ही सम्बन्धित है, श्री चरण सिंह जनवरी, १९६४ से किसानों के ही एक संगठन 'कृषक समाज' के साथ उसके अध्यक्ष के तौर पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हुये। यह एक अखिल भारतीय गैर-राजनीतिक संस्था है जिसमें चुनाव आदि प्रक्रियाओं का लगभग कोई स्थान नहीं है। इसके संविधान के अनुसार कृषि विभाग के अधिकारी इस संगठन में अपनी राजकीय पदवी के कारण ही कुछ पदों को संभालते हैं। इसके उद्देश्य हैं—उत्पादन के नये तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना, साधन तथा विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्राप्त करने में उनकी सहायता करना, सरकारी परियोजनाओं से उन्हें अवगत कराना, सरकार द्वारा उनके हित के लिये बनाई गई योजनाओं की जानकारी प्रदान करना और ऐसे उपाय करना जिससे किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो। श्री चरण सिंह के शामिल होने से पहले यह संस्था लगभग मृतप्राय स्थिति में थी। अब यह कुछ जीवित और सक्रिय अवश्य है परन्तु अब भी यह उतनी प्रभावशाली और कार्यशील नहीं है जितना कि श्री चरण सिंह और इसके अन्य सदस्य अपेक्षा रखते हैं। इसका एक कारण यह है कि श्री चरण सिंह कई अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन के दुर्भाग्यपूर्ण पहलू का यह एक उदाहरण है कि चरण सिंह ने इसका प्रबन्ध अभी एक ही वर्ष के संभाला था कि उनके ऐसे विरोधियों के बहकावे में आकर जो कि उनकी लोकप्रियता और प्रभाव से जलते थे, श्रीमती सुचेता कृपलानी ने रस संस्था को जो सरकारी सहयोग दिया जा रहा था उसके वापस लिए जाने के आग्रह की एक आज्ञा जारी कर दी इस कार्यवाही से पहले न तो श्री चरणसिंह से जो कि उनके मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य थे, न तो विचार-विमर्श किया गया और न ही इस तरह की कोई सूचना उन्हें दी गई।

पशुपालन के क्षेत्र में भी श्री चरण सिंह का योगदान कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

१९५४ में मवेशी अतिक्रमण अधिनियम के संशोधन का श्रेय उन्हीं का है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश गौ हत्या निवारण अधिनियम की तैयारी जिससे उसे १९५५ में का रूप दिया जा सका, उत्तर प्रदेश गौशाला अधिनियम तथा १९६४ के उत्तर प्रदेश मवेशी सुधार अधिनियम बनाना—यह सब श्री चरण सिंह की ही उपलब्धियाँ हैं। १९६५ के पहले चतुर्थांश में उन्होंने मंत्रिमंडल से एक मवेशी संरक्षण अधिनियम बनाने की स्वीकृति ले ली थी। जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अच्छी नस्ल के छोटी आयु के गाय और भैंसों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने तथा मौजूदा गौ हत्या निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों में सुधार करने का प्रस्ताव रखा गया था। परन्तु मई, १९६५ में यह विभाग उनसे वापस ले लिया गया जिसके फल-स्वरूप यह अधिनियम अब तक कानून पुस्तिका में शामिल नहीं किया जा सका है।

१९५३-५४ में श्री चरण सिंह ने मवेशी मंडियों के नियंत्रण के लिए एक विधेयक तैयार करवाया जो कि इस दिशा में किसी भी राज्य द्वारा उठाया जाने वाला सम्भवतः पहला कदम था। इसे मुख्य मंत्री तथा पार्टी की मंजूरी भी मिल गई। परन्तु पंत जी के दिल्ली चले जाने के बाद पशुपालन विभाग मंत्रिमंडल के एक अन्य सदस्य के हवाले कर दिया गया और श्री चरण सिंह के प्रयत्नों के बावजूद विधेयक को कानून का रूप नहीं दिया जा सका।

उनके द्वारा परिवहन विभाग में किए गए सुधारों का भी अत्यधिक महत्व है। उन्होंने सार्वजनिक वाहकों तथा यात्रा बसों के संचालन में बर्षों से पाई जाने वाली अनियमितताओं तथा परिणाम स्वरूप पैदा हुए भ्रष्टाचार पर बेनामी लेन-देन को बंद

कर रोक लगा दी। इसके साथ ही इस बात की भी पक्की व्यवस्था की गई कि भविष्य में परमिट और पंजीकरण दोनों में उसी एक नाम में इन्दराज किए जाँय जो कि वास्तविक स्वामी का है। नाबालिगों, विधवा स्त्रियों तथा अपंग लोगों को इस विषय में छूट दी गई। राज्य के लोग इन सुधारों के लिए आज भी श्री चरण सिंह को कृतज्ञतापूर्वक याद करते हैं। उन्होंने यह नियम भी बनाया कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक परमिट नहीं दिया जाएगा।

श्री चरण सिंह से साढ़े सात महीने की छोटी से अवधि के लिए १९५८ में वित्त विभाग का कार्यभार भी सम्भाला। इस अवधि की प्रमुख विशेषता थी उनके द्वारा सार्वजनिक धन की फिजूल खर्चों को रोकने के लिए किए गए विभिन्न उपाय। उन्होंने खाद्यन्न के व्यापारियों पर लगाये जाने वाले विक्रय कर से सम्बन्धित बहुत पुरानी और कठिन समस्या को तेजी से हल करने के लिए भी कुछ कदम उठाए। इस समस्या का समाधान इस तरह किया गया कि एक ओर तो संतुष्ट हुए और दूसरी ओर लोगों तथा सरकारी कोष पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

१९५८-५९ में केवल चार महीनों के लिए श्री चरण सिंह ने सिचाई और ऊर्जा विभाग भी चलाया। इस छोटी-सी अवधि में उन्होंने कई इन्जीनियरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के लिए अनुशासनिक कारवाई आरम्भ की। श्री चरण सिंह के इस्तीफे को स्वीकार कर लिए जाने के बाद इस विषय पर २३ अप्रैल १९५९ के 'नेशनल हेराल्ड' में इस प्रकार टिप्पणी की गई।

अपने अंतिम कार्यकाल में वे ऊर्जा और सिचाई के क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की जाँच करने का बहुप्रशंसित कार्य कर रहे थे। यह दो ऐसे विभाग हैं जिन पर बदनामी की परतें जमी हुई हैं और

कहा जाता है कि इन विभागों में उनके इस्तीफे के उपलक्ष में उत्सव मनाये जाते की प्रतीक्षा हो रही ।

कुछ इंजीनियरों और ठेकेदारों ने वास्तव में इस पर उत्सव मनाया । अंत में उनके उत्तराधिकारी श्री गिरधारी लाल ने उन सब को छोड़ दिया ।

उनके द्वारा लिया गया दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जलमार्गों के निर्माण से सम्बन्धित था जिनकी कमी के कारण करोड़ों रुपयों के नल-कूप कई वर्षों से बेकार खड़े थे । उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदस्य और भारत सरकार दोनों ही सरकार पर इस समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार पर जोर दे रहे थे । परन्तु सिंचाई मंत्रियों को कुछ नहीं सूझ रहा था और वे गोल-माल जवाब देते आ रहे थे । श्री चरण सिंह के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भावी लाभग्राहियों को सिंचाई विभाग द्वारा दिए गए आदेशों के अनुकूल स्वयं जलमार्गों का निर्माण करना पड़ेगा । निजी तौर पर ऐसा न किए जाने पर सरकार स्वयं जलमार्ग का निर्माण करवा देगी और उसकी लागत किसानों से वसूल करेगी । परन्तु लागू करने से पहले इस निर्णय को कानून का रूप दिया जाना आवश्यक था जिसमें सरकार के किसी भी सदस्य ने कोई रुचि नहीं दिखाई । इस कार्य को चार वर्ष व्यर्थ गंवाने के बाद जनवरी १९६३ में सम्पूर्ण किया गया और वह भी श्री चरण सिंह के जोर देने पर ही, यद्यपि उस समय उनके पास सिंचाई विभाग का उत्तरदायित्व नहीं था । इस दौरान इस विभाग का कार्य भार दो-दो वर्षों के लिए दो मंत्रियों श्री गिरधारी लाल तथा श्री राममूर्ति ने सम्भाला था ।

ऊर्जा विभाग में श्री चरण सिंह ने अपने कार्य-काल के आरम्भ में ही मुख्य इंजीनियर को, जो काफी बदनाम था, अवकाश प्राप्त कर लेने को कहा । इस बात से मुख्य मंत्री नाराज भी हुए । ऊर्जा विभाग में उनके सम्बन्ध की दूसरी स्मरणीय बात मंत्री मंडल

के बिजली सप्लाई के बारे में एक निर्णय से लिए गए हैं जिससे राज्य सरकार को २० करोड़ रुपये की हानि होने की संभावना थी। उन्होंने डा० सम्पूर्णानन्द द्वारा ग्रिहन्द बांध से प्राप्त समस्त बिजली शक्ति का आधे-से-अधिक भाग बिगला परिवारों को उनके अल्युमिनियम कारखाने को चलाने के लिए देने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। यह श्री चरण सिंह के इस्तीफे का तत्कालिक कारण भी था। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से भी सहमत नहीं थे। अन्त में १४ मार्च को उनकी अनुपस्थिति में यह निर्णय ले लिया गया। १९६३-६४ की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया कि केन्द्रीय सरकार के मिचवाई और ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञों की एक समिति के अनुसार बिजली पहुंचाने की लागत ३.१६ पैसे प्रति यूनिट थी जब कि बिगला परिवार को यह २.०० पैसे प्रति यूनिट बेची जा रही थी। समिति ने अनुमान लगाया कि इस कार्य में राज्य सरकार को ५०.३७ लाख रूपयों की वार्षिक हानि होगी। बिजली प्रदान करने के दर में अगले १६ वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। बाकी ९ वर्षों में उसे अगले १६ वर्षों की अवधि के लिए घटाया-बढ़ाया जा सकता था और बाकी के वर्षों में बिजली की कीमत में वृद्धि या कमी की तो जा सकती थी परन्तु यह परिवर्तन १० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता था। यहाँ पर यह बात याद रहे कि डा० सम्पूर्णानन्द बहुत पुराने और कट्टर समाजवादी थे !

गृह मंत्रालय में तो श्री चरण सिंह ने एक नये ग्रीकांड की ही स्थापना कर दी। इस विभाग का भार उनके पास केवल १५ महीनों की छोटी सी अवधि के लिए था परन्तु उन्होंने विभिन्न विषयों को निपटाने में सख्ती और विवेक के मिश्रण का जिस कुशलता से प्रयोग किया उसकी जनता और पुलिस कर्मचारियों (बड़े-से-बड़ा अफसर और छोटे-से-छोटे कान्सटेबल) सभी ने भूरि-भूरि प्रशंसा की उनके कार्यकाल में विभागीय कारवाइयां तो पहले से अधिक नहीं की गई परन्तु पुलिस विभाग की कुशलता और

ईमानदारी में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस अभूतपूर्व सफलता तथा जन-सामान्य द्वारा अब अपने को सुरक्षित महसूस किए जाने के कारण ही मार्च, १९६२ में गृह विभाग उनसे ले लिए जाने पर लगभग सभी लोगों ने उनकी पिछली सफलताओं के आधार पर श्री चरण सिंह की इस विभाग में वापसी की कामना की। विधान सभा के प्रत्येक अधिवेशन में कानून और व्यवस्था पर हर वहस के दौरान विपक्ष के सदस्यों तक ने कई बार यही इच्छा प्रकट की। पुलिस विभाग के कर्मचारियों के हौसले तथा उनकी कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए श्री चरण सिंह द्वारा किए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। इससे स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा सम्भाले गए प्रत्येक विभाग में किस तरह प्रशामन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया जाता था।

कार्यभार सम्भालते ही उन्होंने पुलिस के आई. जी. को सेवा-निवृत्त किए जाने की आज्ञा दी। यह आई. जी. महाशय सरकार के इस नियम के विरुद्ध काम कर रहे थे कि कोई भी विभागाध्यक्ष अपने पद पर ५ वर्ष से अधिक कार्य नहीं करेगा। इस अधिकारी का पुराना इतिहास भी बहुत ठीक नहीं था। इसके साथ-साथ, डी. आई. जी. श्री शरत चन्द्र मिश्र को, जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे और जो भारत सरकार के एक प्रस्ताव के अनुरूप राज्य से बाहर की एक नियुक्ति पर जा रहे थे, समझा-बुझा कर रोका गया और सी. आई. डी. में अतिरिक्त आई. जी. के पद पर उनकी नियुक्ति की गई।

श्री चरण सिंह ने पुलिस विभाग को आश्वासन दिया कि वे उनके कर्तव्य-पालन में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्ताक्षेप नहीं होने देंगे। इस आश्वासन से उनमें दोबारा उस शक्ति और हौसले का जन्म हुआ जो १९४७ के बाद कांग्रेस शासन के दौरान उन्होंने धीरे-धीरे खो दिया था। दूसरी ओर उन्होंने पुलिस कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक व्यक्ति से नियमों का

सख्ती से प्रयोग करते हुए ईमानदारी के साथ पेश आए। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा हो और कितने ही ऊँचे लोगों के साथ उसके राजनीतिक सम्बन्ध क्यों न हों, पुलिस की नजर में उसका दर्जा वही होना चाहिए जो कि एक साधारण व्यक्ति का है।

इसी नीति के अनुसार उन्होंने कई विषयों में अदालतों में चल रहे मुकदमे वापस लेने से भी इन्कार कर दिया। इनमें से कुछ थे : (अ) इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के छात्रों के विरुद्ध डा० सम्पूर्णानन्द के समय में दंगा-फसाद तथा मानसखोर सिनेमा की कुछ सम्पत्ति को आग लगाने का मामला, (आ) बलरामपुर के इन्टरमीडियेट कॉलेज के छात्रों के विरुद्ध दंगे का मामला, तथा (इ) हमीरपुर के एक विधायक के विरुद्ध डकैती का मामला। उन्होंने इसी तरह—प्रतापगढ़ जिले के एक कांग्रेस विधायक के मामले में जिनके एक कत्ल में शामिल होने के बारे में पुलिस छान-बीन कर रही थी और जिन्हें बाद में इसी अभियोग में सजा दी गई तथा झांसी जिले के विधायक से सम्बन्धित मामले में जिन्होंने अपने एक मित्र को ऐसे कुश्रों के निर्माण के लिए सरकारी अनुदान दिलाया जो कि कभी खुदवाये ही नहीं गए—श्री चरण सिंह ने पुलिस को उचित और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रजातंत्र में कानून के सामने सब बराबर हैं और कानूनी औपचारिकताएं हर परिस्थिति में पूरी की जानी चाहिए।

एक अन्य उदाहरण: हजरतगंज के चौराहे पर तैनात ट्रैफिक के सिपाहियों ने कॉलेज के चार-पांच साइकिल सवार छात्रों का नियमों का उल्लंघन करने तथा एक सिपाही के साथ मार पीट करने के अपराध में चालान कर दिया। उनमें से एक छात्र किसी आयोग या समिति के द्वारा एक राजपत्रित पद के लिए चुन लिया गया था और नियुक्ति से पहले पुलिस उसके पूर्व-इतिहास की

जांच-पड़ताल कर रही थी। गृह मंत्री श्री चरण सिंह के एक सहयोगी तथा एक अन्य अधिकारी ने उनसे उस छात्र को माफ कर देने का अनुग्रह किया। उन्होंने छात्र के परिवार की ओर से पैरवी करते हुए श्री चरण सिंह को बताया वह छात्र एक विधवा स्त्री का एकमात्र पुत्र था और उसे उसके नाना ने पाला-पोसा था और माफ न किए जाने पर उसकी आजीविका नष्ट हो जाएगी। परन्तु उन्हें मना कर दिया गया। बूढ़े सज्जन और उनकी पुत्री, अर्थात् उस छात्र की माँ ने कई तरह की सफाइयाँ दी और विधवा स्त्री ने आंसुओं की झड़ी लगा दी। श्री चरण सिंह सिर्फ इस शर्त पर नरम पड़े कि मभी छात्रों को फैजाबाद के पुलिस लाइन भेजा जाय। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारी से उन सिपाहियों की एक बंठक बुलाने के लिए कहा जहाँ छात्रों द्वारा माफी मांगने पर यदि सिपाही उन्हें माफ कर दें तो उसी अवस्था में इस मामले को वापस लेने का निर्णय सुनाया। इस घटना से पुलिस का श्री चरण सिंह के प्रति स्नेह और आदर का भाव अवश्य बढ़ गया होगा।

श्री चरण सिंह ने जनवरी, १९६२ में इस बात पर गृह मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया कि मुख्य मंत्री ने मेरठ जिले के उस वरिष्ठ पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट का तबादला कर दिया था जिसने एक अपराधी कांग्रेसी पर मुकदमा चलाने की कार्रवाई शुरू की। उस कांग्रेसी को पुलिस की अपराध शाखा ने एक लम्बी जांच के बाद दोषी पाया था। श्री चरण सिंह का विचार था कि यदि वह पुलिस अधिकारी को संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते जिसने उनके द्वारा निर्धारित नोति के अनुसार नियमों के अंतर्गत अपने कर्तव्य का पालन किया तो उन्हें गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री चरण सिंह ने समस्त पुलिस विभाग या संगठन की कभी निन्दा नहीं की। उन्होंने कई वक्तव्यों में पुलिस को दर्जा दिया जो कि न्यायपालिका समेत अन्य सेवाओं के अधिकारियों को दिया

जाता । इससे पुलिस कर्मचारियों का मनोवैज्ञानिक उत्साह-वर्धन हुआ जिसके फलस्वरूप वे श्री चरण सिंह के आशाओं को पूरा करने का तथा उनके द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंचने का गम्भीरता व निष्ठा से प्रयास करने लगे ।

श्री चरण सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे बेईमान पुलिस कर्मचारियों के विषय में अथवा पुलिस वालों की तरक्कीयां तबादले रद्द करने के मामलों किसी भी सिफारिश पर कोई ध्यान नहीं देंगे । पुलिस विभाग के जिस किसी भी व्यक्ति ने उन तक पहुंचने की या उन पर प्रभाव डालने की कोशिश की उस पर अप्रसन्नता प्रकट कर उसे अपने आचरण की सफाई देने के लिए कहा गया । शीघ्र ही ऐसा वातावरण बन गया जिसमें कोई भी श्री चरण सिंह पर प्रभाव डालने के बारे में सोचता भी नहीं । पुलिस वालों को यह ज्ञात हो गया कि यदि वे कोई गलती करें या अपराधी पाए जाएं तो उन्हें कोई भी नहीं बचायेगा । परन्तु यदि वे ठीक से काम करें तो उनकी सराहना की जाएगी और सार्वजनिक तौर पर उनके प्रति आभार प्रकट किया जाएगा ।

उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि नियुक्ति और तरक्की के मामलों ने वे पूरी तरह उम्मीदवारों की योग्यता तथा नियमों को ही आधार मानें और इनके अतिरिक्त किसी और बात का लिहाज न करें । फलस्वरूप, गरीब और धनी, साधनहीन और साधनयुक्त सभी लोगों को समानता का दर्जा मिला और आई. जी. पुलिस ने स्वयं श्री चरण सिंह को फरवरी या मार्च १९६२ में यह सूचना दी कि उनको या उनके सहयोगियों को सब-इन्स्पेक्टर पद पर नियुक्तियों में किसी भी किस्म की सिफारिश नहीं भेजी गई ।

श्री चरण सिंह की गई नीतियों में से एक यह भी था कि एक ही किस्म की गलती पर बड़े अफसरों को छोटे अधिकारियों की अपेक्षा अधिक सख्त दंड दिया जाएगा ।

उन्होंने अपराधों की सही रिपोर्ट दर्ज करने पर जोर दिया और सार्वजनिक तौर पर यह आश्वासन दिया कि थाना अधिकारियों की कुशलता को उनके थाने में दर्ज हुए रिपोर्टों की संख्या के आधार पर नहीं आँका जाएगा। फलस्वरूप, न केवल अपराध स्थिति की सही जानकारी प्राप्त होने लगी बल्कि जनता को भी बेईमान पुलिस अधिकारियों के चंगुल से राहत मिली।

दिसम्बर, १९६१ में 'पुलिस सप्ताह' के सिलसिले में बुलाए गए पुलिस अधिकारियों की एक बैठक में उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे भविष्य में वे एक आदेश जारी करने पर विचार कर रहे हैं जिसके अंतर्गत पुलिस को कचहरियों में व्यर्थ झूठी गवाहियां प्रस्तुत न करने की कड़ी हिदायत दी जाएगी।

सभी पुलिस सुपरिन्टेण्डेंटों और डी. आई. जी. वर्ग को आदेश दिया गया कि वे इस बात का ध्यान रखें कि वे जिस किसी भी थाने का निरीक्षण करने जाएँ, वहाँ के सब इन्स्पेक्टर पर अपने दौरे का कोई भी खर्च बिल्कुल नहीं लादें।

पुलिस अधिकारियों द्वारा अनधिकृत तौर पर अपने घरों में सिपाहियों द्वारा काम करवाने अथवा नियमों से बाहर उनसे किसी भी तरह की सेवाएं प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया।

१९६० तक पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर की नियुक्ति के लिए जहाँ तक उनकी शारीरिक क्षमता का सम्बन्ध था, केवल एक अहंकारी परीक्षा ही ली जाती थी। इस प्रकार यदि सफल घोषित किए जाने के लिए ४० अंक निर्धारित किए जायें तो ४० या ४१ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को और ८० या ९० अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को दोनों को एक ही दर्जा दिया जाएगा और नियुक्ति के लिए उन्हें समान रूप से योग्य माना जाएगा। श्री चरण सिंह ने घोषणा की कि कुल अंकों में नियुक्ति के लिए शारीरिक परीक्षण में प्राप्त सारे अंक जोड़े जाएंगे। नियमों में संशोधन के फलस्वरूप पिछले वर्षों की अपेक्षा

अधिक कुशल सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति होने लगी । (यहां यह बता देना अनुपयुक्त नहीं होगा कि अगले ही वर्ष श्री चरण सिंह द्वारा गृह मंत्रालय छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने इस आदेश को रद्द कर दिया ।)

श्री चरण सिंह ने उस नियम को रद्द कर दिया जिसके अंतर्गत एक प्रशिक्षार्थी सब-इन्स्पेक्टर को मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग कालेज में प्रशिक्षण दिए जाने से पहले १००० रुपये की रकम जमा करना पड़ता था । इसके स्थान पर उन्हें प्रशिक्षण के दौरान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ८० रुपये के मासिक अनुदान दिए जाने के आदेश दिए गए ।

कार्यभार संभालने के तीन ही महीनों में श्री चरण सिंह ने एक निर्णय लेकर मार्च, १९६१ में पुलिस बजट प्रस्तुत करते समय उसकी घोषणा की जिसके अनुसार ऐसे अराजपत्रित पुलिस वालों के उत्तरजीवियों को जो कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए या अपराधियों से मुठभेड़ में मारे गए, उनकी उस पूरी आय (वार्षिक वृद्धि के साथ) के बराबर की राशि जो कि वे अपने जीवन काल में प्राप्त कर रहे थे, दी जाती रहेगी । इस के साथ ही यह उत्तरजीवी पेंशन प्राप्त करने के भी अधिकारी होंगे ।

श्री चरण सिंह के ही कार्यकाल में महत्वपूर्ण शहरी केन्द्रों में रेडियो यंत्र युक्त पुलिस के चलते फिरते दस्तों को बनाने की एक परियोजना को कानपुर और लखनऊ में आरम्भ किया गया । शहर की जनसंख्या के आधार पर एक या दो ऐसे दस्ते प्रत्येक प्रमुख स्थान पर बनाये जाने थे जिनकी सेवाएँ २४ घंटे छोटे से छोटे नागरिक को भी टेलीफोन पर अर्थात् बिना किसी देरी के एकदम उपलब्ध होती । इससे एक ओर तो नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे और दूसरी ओर

पुलिस विभाग की कार्य क्षमता बढ़ गई तथा उनको जनता को अधिक लाभ पहुंचाने का संतोष मिला ।

श्री चरण सिंह एक से अधिक बार सार्वजनिक मंचों पर बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि पुलिस विभाग में कार्य कुशलता की कमी और उनके बदनाम होने के कारण वे कठिनाइयां व बाधाएँ हैं । जिनके अंतर्गत विभाग को अपना काम करना पड़ता है । उदाहरण के तौर पर अन्य देशों व राज्यों की अपेक्षा पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों का न होना, परिवहन के आवश्यक साधनों की कमी खास तौर से थानों में, अच्छे तथा प्रभावकारी अस्त्रों की कमी, अधिक गहरे तथा तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव अपराध की जाँच करने के लिए आवश्यक उपकरणों का अभाव, कई पुलिस थानों में टेलीफोन तथा बिजली की सुविधाओं का न पाया जाना, लगभग ८० प्रतिशत सिपाहियों के लिए निवास स्थान का कोई प्रबंध न होना जिससे कि कई समस्याएँ पैदा होती हैं, कम आय और सबसे अधिक कानून या पद्धति जिसमें सभी अधिकार अपराधियों को दिए गए हैं और सभी किस्म के कर्त्तव्य पुलिस पर थोप दिए गए हैं ।

पुलिस कर्मचारियों को यह विश्वास होने लगा था, जो कि ठीक ही था कि उनके गृह मंत्री उनकी सभी शिकायतों तथा प्रतिबंधों को जल्द से जल्द दूर करना चाहते हैं । उन्हें यह जानकारी बड़ा सुखद आश्चर्य तथा श्रद्धा हुई कि पुलिस आयोग के बहुत से सुझाव, उदाहरणतः उनकी संख्या तथा वेतनों में वृद्धि के बारे में बहुत थोड़े समय में यानि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन माह के भीतर ही मान लिये गये थे । जबकि सरकारी कर्मचारियों का पिछला अनुभव यह था कि ऐसी रिपोर्टों को आम तौर पर एक तरफ रख दिया जाता था और यदि कुछ सिफारिशें स्वीकार भी की जाती तो सरकार को ऐसा करने कई वर्ष लग जाते थे ।

ऐसा भी मालूम पड़ा है कि दण्ड विधि तथा गवाही-अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं में सुधार लाने की दृष्टि में गृह मंत्री ने आई. जी. पी. (I G P.) को कुछ आँकड़े जमा करने के लिए कहा था, और इस सम्बन्ध में उस समय के प्रधान मंत्री से बात की थी, उन्होंने पुराने जुआ-अधिनियम को रद्द कर दिया था, और उनके स्थान पर एक नया अधिनियम जारी किया, और दण्ड संहिता में कुछ संशोधन भी किये।

पुलिस कर्मचारियों के हितों तथा कार्यक्षमता की ओर श्री चरणसिंह जी की उत्सुकता ने उनके दिलों में इस भावना का विकास किया कि हालाँकि गृहमंत्री एक अनुशासन प्रिय अधिकारी हैं, पर साथ ही वे उनके अधिकारों के उत्साही संरक्षक भी हैं।

वन विभाग में भी, जिसकी उन्होंने साढ़े तीन वर्ष तक अध्यक्षता की, श्री चरण सिंह ने काफी उन समस्याओं को हल किया जो कि पिछले २० वर्षों से विचाराधीन तथा बिना किसी हल के पड़ी हुई थी। कोई १६०० वर्ग मील जंगल जो कि जिला कर प्रशासन के प्रबन्ध के आधीन बेकार हो रहे थे, वन विभाग द्वारा ले लिये गये। यह एक ऐसा कदम था जिसको लेने में पन्त जी के समय से अब तक राज्य सरकार राजनैतिक कारणों से हिचकिचा रही थी। जमुना तथा चम्बल की घाटियों को जंगल बनाने की एक योजना बनायी गयी तथा लागू की गयी जो कि उपजाऊ भूमि के कटाव को रोकेगी तथा अपार सम्पत्ति को जन्म देगी। उन्हीं की अगुआई में राज्य में सभी सरकारी पक्की सड़कों पर वृक्षारोपण का कार्य पी. डब्ल्यू. डी. (P. W. D) पर न छोड़ कर १९६६ में वन विभाग ने अपने हाथों में लिया। टेहरी राज्य से प्राप्त वनों के आरक्षण का असाध्य प्रश्न जो कि हल के लिये १५ वर्षों से पड़ा हुआ था एक अधिनियमन द्वारा हल किया गया। जब उन्होंने पद सम्भाला, १९५२ में जमींदारों से लिये गये वनों

की व्यवस्था का कार्य मन्थरगति से चल रहा था । श्री चरण सिंह ने इस गति को काफी तेज किया ।

वन भूमि पर अनुचित अधिकार जमाने वालों को सख्ती से हटाया गया और भविष्य में बेदखली कानून सरल बना दिया गया । निजी वन भूमि के असंख्य छोटे क्षेत्रों को उनके मालिकों को वापिस दिया गया और केवल प्रशान योग्य क्षेत्रों को ही विभाग ने प्रबन्ध के लिये अपने पास रखा । वन भूमि की व्यवस्था श्री चरण सिंह ने उसी प्यार तथा सावधानी से की जैसे कि कोई अपनी सम्पत्ति की करता है ।

उन्होंने के एक वन्य जीवन सुरक्षा विधेयक तैयार किया जो कि समय की कमी के कारण कानून संग्रह (Statute book) में न लाया जा सका ।

फरवरी १९६६ में स्थानीय स्वशासन (Local Seef Government) का विभाग उन्हें सौंपा गया । तुरन्त ही शहरी इलाकों में ऐसी आशाएं बंधी जिनको पूरा करने में अधिक समय नहीं लगा । चार मास की छोटी अवधि में ही म्युनिस्पल सेवाओं को केन्द्रित करने के लिए आवश्यक नियम बनाए तथा अन्य आवश्यक निर्णय लिये, और इस प्रकार नगर प्रशासन में एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम लिया गया जो कि कई वर्षों से विचाराधीन पड़ा हुआ था ।

इस एक कदम से म्युनिस्पल सदस्यों के बीच होने वाली गुटबन्दियों में कमी आयी स्थानीय समितियों के अध्यक्षों के अधिकारों की स्थापना हुई और प्रशासन में काफी सुधार आया । जनता तथा स्वयं म्युनिस्पल सेवाओं ने इसका बहुत स्वागत किया ।

स्थानीय समितियों के संचालन में मितव्ययता लाने तथा उनके वित्त प्रबन्ध में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने के लिये एक समिति का गठन किया गया ।

वेतन आयोग की स्थापना किये बिना ही स्थानीय समितियों के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किया गया जिसके लिये की कर्मचारी पिछले कई वर्षों से शोर मचा रहे थे। काफी स्थानीय समितियों का दर्जा ऊंचा किया गया जो कि काफी वर्षों पहले हो जाना चाहिए था। इससे उनके कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतनमानों के रूप में और राहत मिली। फलस्वरूप, जबकि राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण मुख्यालयों तथा अन्य कार्यालयों में सरकारी काम दो महीने (दिसम्बर १९६६ से जनवरी १९६७ तक) तक बिखरा रहा, स्थानीय समितियों में एक शान्ति पूर्ण द्वीप तथा एक भारी हलचल और अनुशासनहीनता में स्थिरता की भांति कार्य नियमित रूप से चलता रहा।

वर्ष १९६७ तक श्री चरण सिंह को शिक्षा, उद्योग, महकारिता तथा पी. डब्ल्यू. डी. को छोड़ कर राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रशासन का अनुभव प्राप्त हो गया था। शुरू से अन्त तक दक्षता, मौलिकता तथा अनुसुलभी समस्याओं का हल निकालना उनके प्रशासन की विशेषता थी। ये श्री चरण सिंह थे जो कि स्वयं ही अपने विभाग की नीतियां बनाते थे और अफसरों को निर्देश दे देते थे, न कि इसके विपरीत होता था। और शायद, यहाँ यह कहना अनावश्यक होगा कि वे ब्यौरे में प्रवीण थे। कोई भी अफसर, चाहे वह कितना भी योग्य क्यों न हो, उनकी आंखों में धूल नहीं झाँक सकता था या उनकी अनदेखी कर सकता था।

गरीब तथा दलित लोगों के लिये श्री चरण सिंह की चिन्ता काफी जानी पहचानी है। राजस्व मंत्री रहते हुए हरिजनों तथा हमारे समाज के अन्य गरीब वर्गों को जो अधिकार तथा सम्मान उन्होंने दिलाये उसका जिक्र पहले ही किया जा चुका है। १९४० तथा आगे के वर्षों में, पंत जी की सरकार में संसदीय सचिव रहते हुए, ये कांस्टेबल चपड़ासियों तथा श्रेणी IV के अन्य कर्मचारियों के सरकारी काम पर यात्रा करने के भत्ते को चार या छः आने

से बढ़ा कर १२ आने प्रतिदिन प्राप्त कराने में सफल हुए । नवम्बर १९५४ से मार्च १९५६ तक राजस्व मंत्री रहते हुए, इस बात का निश्चित प्रबन्ध करने के लिये कि जिला प्रशासनों, लेखपालों तथा ग्रामीनों के दफ्तरों में चपड़ासियों के पदों में हरिजनों का अनुपात कम-से-कम १८ प्रतिशत हो सके, उन्होंने विभिन्न जिलों को सरकार तथा राजस्व पंडल की ओर से कई आदेश तथा सरकुलर जारी करवाये । लेकिन सरकारी स्तर पर इसका बहुत विरोध हुआ । और बहुत से स्मरणपत्रों के बावजूद केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई । दिसम्बर १९५३ में श्री चरण सिंह ने एक सरकारी आदेश जारी किया ताकि उनके आधीन विभागों जैसे कृषि, पशु पालन तथा वन, में श्रेणी IV की सभी खाली नौकरियां अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को मिलें जब तक कि उनका कोटा १८ प्रतिशत न पहुंच जाय । लेकिन कुछ मास बाद नियुक्ति विभाग ने बताया कि यह आदेश संविधान के विरुद्ध है, अतः इसे वापिस ले लिया गया । उनकी यह सिफारिश कि कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए, हाल ही का एक उदाहरण है । ऐसा विचार रखने वाले वे, शायद, देश के पहले राजनैतिक नेता थे ।

प्रशासन में सुधार लाने के लिये तथा देश के हित के लिये उन्होंने बहुत से अन्य विचार तथा योजनाएं प्रस्तुत की थी, लेकिन या तो इन पर कोई विचार ही नहीं किया गया या जन हित की काफी हानि होने के पश्चात ही इन पर विचार किया गया । इनमें से कुछ ये हैं :

प्रथम : १९५० के दशक के मध्य से वे, विशेषतया पूर्वी जिलों के लिये, छोटी सिंचाई परियोजनाओं की उपयोगिता पर बल दे रहे थे, लेकिन किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की । इसके विपरीत, उनके विरुद्ध कानों कान एक प्रचार प्रारम्भ हुआ जिसमें

यह कहा गया कि वे नहीं चाहते कि राज्य के पश्चिमी भागों के अतिरिक्त किसी अन्य भाग में पैसा लगाया जाय । आखिरकार सरकार को उनके विचारों के अनुकूल अपना रुख बदलना पड़ा, लेकिन यह हुआ बहुत देर बाद १९६४ में । इस अवधि में करोड़ों रुपया पूंजी व्यय के रूप में अलाभकारी परियोजनाओं पर खर्च हो चुका था जिसके कारण सिंचाई विभाग सरकारी खजाने के लिये एक भार बन गया था । अंग्रेजों के जमाने में सिंचाई विभाग ने लगभग एक करोड़ पिच्चहत्तर लाख रुपये की शुद्ध वार्षिक आय कमायी : १९६७ में इसने साढ़े आठ करोड़ रुपये की वार्षिक हानि दिखाई ।

दूसरी : जाति प्रथा हिन्दू या भारतीय समाज का सबसे बड़ा दोष है । अप्रैल १९३६ में श्री चरण सिंह ने कांग्रेस संसदीय दल के सम्मुख एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं या सार्वजनिक सेवाओं में प्रवेश देते समय हिन्दू उम्मीदवारों की जाति के बारे नहीं पूछना चाहिए । केवल यह पूछना चाहिए कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति का है या नहीं । उन्हीं के अनुरोध पर ही १९४८ में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि भूमि रिकार्डों में काश्तकारों की जाति न लिखी जाय । इस सम्बन्ध में सरकार के कर्तव्य के बारे में श्री चरण सिंह के विचार क्रांतिकारी प्रायः थे । संविधान में एक संशोधन का सुझाव देते हुए १९५४ में उन्होंने पंडित नेहरू को लिखा कि राज्यों की राजपत्रित सेवाओं में उन्हीं नवयुवकों को भर्ती करना चाहिए जो कि अपनी जाति के बाहर विवाह करने के लिए तैयार हों (और केन्द्रीय राजपत्रित सेवाओं में उन नवयुवकों को जो कि अपने भाषा वर्ग के बाहर विवाह करने के लिए तैयार हों) लेकिन इसके कुछ परिणाम न निकले । पंत जी के समय से मृदु उपाय के रूप में वे ये सुझाव देते आ रहे हैं (और नोट लिखते आ रहे हैं) कि उन शिक्षा संस्थाओं को जिनका कि नाम किसी विशेष जाति के साथ जुड़ा हुआ है, वित्तीय सहायता

समाप्त कर देनी चाहिए । क्योंकि इस संस्थाओं में पढ़ रहे हमारे बेटे बेटियाँ धीरे-धीरे जन्म के संयोग पर आधारित ऊँच-नीच के विचारों में प्रभावित हो रहे हैं । लेकिन मंच से इतनी जोशीली घोषणाओं कि कांग्रेसजन एक जातिहीन समाज के लिये काम कर रहे हैं के बावजूद भी उनसे किसी न सहमति प्रकट न की ।

तीसरे : १९५२ से वे इस बात का निवेदन करते आ रहे हैं कि एम. डी. ओ के मुख्यालयों को जिलों से हटाकर तहसील में लाया जाय ताकि छोटे-छोटे कामों के लिए लोगों का समय बर्बाद न हो, भ्रष्टाचार में कमी हो, तेज गति से चलें । प्रत्येक न सहमति प्रकट की लेकिन आवश्यक वित्त व्यवस्था न हो सकी ।

चौथे : शायद श्री चरण सिंह ही उत्तर प्रदेश के प्रथम राजनैतिक नेता थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों के बारे में आवाज उठायी । १९५६ में बस्ती जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाषण देते समय उन्होंने उनसे कहा था कि वे यह कार्य अपने हाथ में लें और लोगों से उनके अपने ही हित में यह कार्यक्रम अपनाने के लिए अनुरोध करें । राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में काफी देर बाद १९६४ में सक्रिय रुचि ली ।

पाँचवें : काला धन, अर्थात् काला बाजारियों द्वारा तथा अन्य गैर-कानूनी तरीकों से कमाया गया धन, जो कि देश की कुल करंसी का एक तिहाई भाग है, मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि के दो कारणों, जिसमें दूसरा कम उत्पादन है, में से एक है, जिससे लोगों को कठिनाइयाँ आई हैं, संगठित मजदूरों तथा सरकारी कर्मचारियों ने अधिकाधिक मंहगाई भत्ते की माँग की है, और अनुशासन व कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने में समस्याएँ पैदा हुई हैं । जून १९६६ में श्री चरण सिंह ने काला धन के विमुद्रीकरण की एक योजना तैयार की और उसे भारत सरकार के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया उनको लिखा तथा व्यक्तिगत रूप में मिले लेकिन कोई फायदा न हुआ । उन्होंने इस

बात की चेतावनी भी दी थी कि यदि मूल्यों को नीचे न लाया गया, जो कि विमुद्रीकरण द्वारा ही संभव हो सकता था तो कांग्रेस की १९६७ के ग्राम चुनाव में भारी हार होगी लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। शायद काले धन के स्वामियों का प्रभाव बहुत अधिक था। इसके बदले रुपये का उन्मूल्यन कर दिया गया। इसके क्या परिणाम हुए सबको मालूम है।

छठे : उत्तर-पूर्व भारत में १९५३ से नागा शस्त्र विद्रोह किए हुए हैं। फौज का एक दस्ता उस क्षेत्र में भेजा गया है लेकिन जैसी कि रिपोर्ट है उनको स्पष्ट आदेश है कि वे केवल अपनी रक्षा के लिए ही गोली चलाएँ। लगभग हर चौथे महीने भारत सरकार बयान जारी करके लोगों को आश्वासन दे रही है कि स्थिति में सुधार हो रहा है और यह शीघ्र ही सामान्य हो जाएगी। लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। १९६४ में हमने उनसे युद्ध-विराम समझौता किया और जब से अब तक उसकी अवधि बढ़ाते चले आ रहे हैं। नागाओं ने इसका पालन केवल उलंघन द्वारा ही किया है। फलस्वरूप अब उनकी फौज पहले से अधिक प्रशिक्षित अधिक सुसज्जित तथा अधिक संख्या में है। दोनों पक्षों में बात-चीत का कोई आधार न था : नागा एक क्षण के लिए भी संघ का भाग बने रहने को राजी न थे। फिर भी शान्ति मिशन का छल बनाये रखा गया और पादरी स्काट, जो कि विद्रोह के मुख्य प्रेरणास्रोत हैं साथ मिशन के एक सदस्य के रूप में वर्षों तक संधिवादी चलती रही। १९५९ में श्री चरण सिंह भारत सरकार के सदस्यों को लिखते चले आ रहे हैं कि वे साहस जुटाने के लिए स्थिति को वास्तविक रूप में देखें और जैसे कि विश्व के इतिहास में विद्रोह कुचले गये हैं उसी प्रकार इस विद्रोह को भी कुचल दें। इस सम्बन्ध में वे दो प्रधान मंत्रियों एक गृह मंत्री तथा एक वरिष्ठ नेता से मिल चुके हैं और उनसे मामले पर विचार विमर्श किया लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला।

उन्होंने उनको बताया विश्व में कोई भी हमें इस उदारता तथा सहिष्णुता के लिये धन्यवाद या बधाई नहीं देने जा रहा है; बल्कि हमें अपने देश का प्रशासन चलाने या इसकी अखंडता या सीमाओं की रक्षा करने के अयोग्य तथा कमजोर समझा जाएगा। दिल्ली को भेजे गये अपने एक पत्र में श्री चरण सिंह ने पहले से ही बता दिया था कि नागा चीन व पाकिस्तान से मिल सकते हैं और उचित समय पर हमारी पीठ में छुरा भौंक सकते हैं। नागा समस्या को सुलझाने में असफलता ने मिजों तथा कुकियों के विद्रोह को जन्म दिया है और एक पृथक पहाड़ी राज्य की माँग को बल दिया है।

१९६३ में उन्होंने उस समय भारत के गृह मंत्री को पाकिस्तानी एजेन्टों और घुसपैठियों तथा असम और उसके आस-पास में कार्य कर रहे विदेशी मिशनों की गतिविधियों के बारे में एक विस्तृत नोट भेजा। इसकी एक प्रतिलिपि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भेजी गई, लेकिन किसी के पास आवश्यक साहस या आवश्यक दूरदर्शित नहीं थी। इस समय देश का उत्तर-पूर्व क्षेत्र वस्तुतः ज्वलित है। नवीनतम सूचना के अनुसार चीनी सैनिक नागालैंड में घुस आये हैं और किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि यह एक दूसरे वियतनाम बन जाय। देश के काँग्रेसी शासकों में दूरदर्शिता स्पष्ट विचार तथा दृढ़ता की इस कमी के कारण हमारी भावी पीढ़ियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

मोटे तौर पर यहाँ यह भी बता दें कि अक्टूबर १९४७ में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर घाटी पर हमले के बारे में श्री चरण सिंह ने प्रधान मंत्री को पहले से ही आग्रह कर दिया था; लेकिन पंडित नेहरू ने इस बात की कल्पना भी न की थी कि ऐसा हो सकता था और यदि ऐसा होता भी है तो भारत कोई सैनिक सहायता भेज सकेगा। निम्नतः, जिसकी सीमाएँ हमसे

मिलती हैं, मैं चीनियों की उपस्थिति के परिणामों के बारे में भी उन्होंने उप-प्रधानमंत्री को आग्रह कर दिया था। बाद में मालूम पड़ा कि सरदार पटेल का भी यही विचार था लेकिन अव्यावहारिक विचारों से उत्पन्न पंडित नेहरू के विरोध के कारण वे कुछ भी करने में असमर्थ थे।

राज्य को दी गई श्री चरण सिंह की ठोस तथा रचनात्मक सेवाओं की कोई तुलना नहीं की जा सकती। वजट में पैसे की व्यवस्था करने के लिए, और फिर एक नयी सड़क, नया स्कूल, नया अस्पताल, नया ट्यूबवैल, नया कारखाना लगाने में अधिक बुद्धिमता शायद कोई बुद्धिमता की आवश्यकता नहीं है। जब कि एक नया विचार सोचने के लिए, नया कार्यक्रम बनाने के लिए, नया कानून बनाने के लिए, नयी प्रणाली स्थापित करने के लिए पुरानी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, करोड़ों लोगों पर एक साथ प्रभाव डालने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए, तथा नये मूल्यों की रचना के लिये, केवल बुद्धिमता की ही नहीं बल्कि कल्पना, राजनीतिमत्ता व मस्तिष्क तथा शरीर दोनों के मनो-निबोग की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का किया गया लगभग सारा कार्य श्री चरण सिंह के कारण ही है। यदि उनके और अवसर दिये जाते तो वर्तमान उपहास की जगह राज्य को देश में सम्मान का दर्जा प्राप्त होता।

बहुत सारे लेखों तथा रेडियो वार्ताओं के अतिरिक्त उन्होंने दो पुस्तिकाएँ तथा दो बड़ी पुस्तकें लिखी हैं—जो कि कहीं भी विशेषतया भारत में, एक व्यस्त मंत्री के लिए असाधारण बात है।

(1) Abolition of किताबिस्तान, इलहाबाद, १९४७,
Zamindari पृष्ठ २६३।

- (2) How to abolish Zamindari Which alternative System to adopt. सुपरिटेण्डेन्ट, प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश, भारत, १९५८; पृष्ठ ६८ ।
- (3) Agrarian Revolution in Utter Pradesh. सुपरिटेण्डेन्ट, प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश, भारत, १९५८, पृष्ठ ६५ ।
- (4) India's poverty and its Solution एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९६४ पृष्ठ ६५० ।

नोट—यह अन्तिम पुस्तक एक और इससे पहले लिखी गई पुस्तक (१९६० में विद्या

भवन बम्बई द्वारा प्रकाशित) का एक बड़ा संस्करण है ।

ग्राम लोगों तथा बुद्धजीवी वर्ग में उनकी लोकप्रियता अविवाद्य है । इसका अनुमोदन फरवरी १९६७ में हुए उनके असैम्बली चुनाव में उनको प्राप्त वोटों से होता है । उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी को ५२००० हजार से भी अधिक वोटों से हराया । देश में हुए चार ग्राम चुनावों में किसी असैम्बली उम्मीदवार के लिये यह सबसे अधिक अन्तर था । उनके तीनों प्रतिद्वन्द्वियों की जमानतें जब्त हो गयी थी । और ऐसा सब कुछ इसके बावजूद है कि १७ जनवरी का अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व वे अपने चुनाव हल्के में केवल पाँच छः बार ही दौरा कर पाये थे, और बाद में बीमार पड़ जाने के कारण दौरा न कर सके थे । यहाँ यह कहना संदर्भ के बाहर नहीं होगा कि राज्य में उन के राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों में उनके प्रति इतना तीव्र पक्षपात तथा विरोध था कि मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी, जो कि २५ वर्ष बाद १९६४ में उनके प्रतिद्वन्द्वियों के हाथ में आ गयी थी जिले से कांग्रेस उम्मीदवार के उप में उनके नाम भी नहीं भेजा ।

कभी इस नीति या सफलता के लिये या कभी उसके लिये श्री चरण सिंह को विधान सभा के लगभग हर एक सेशन में विरोधी पक्ष से निरन्तर प्रशंसा प्राप्त होती रही है। समस्त देश में शायद किसी मंत्री के साथ ऐसा हुआ हो। केवल यह ही नहीं, जैसा कि विधान सभा की कार्यवाहियों से मालूम पड़ता है कि कई बार जब श्री चरणसिंह भाषण दे रहे होते थे तो विरोध पक्ष ने कई बार विधान सभा के बैठने के समय को बढ़ाने की मांग की ताकि वे उनके ज्ञान तथा अनुभव से लाभ उठा सकें।

जबकि वे प्रशासन में प्रचलित भ्रष्टाचार के कट्टर विरोधी उनकी अपनी ईमानदारी किसी भी शंका से परे है। उनका निजी जीवन कलंकित हैं तथा एक खुली पुस्तक है। अपने समीप के लोगों के लिए उन पर कभी भी अपनी शक्ति के दुरुपयोग का अभियोग नहीं लगाया जा सकता। उत्तर प्रदेश राजनीति के एक अमरीकी विद्यार्थी को जैसा कि किसी ने लिखा, श्री चरण सिंह अपने उन लोगों को भी जगह नहीं दे रहे हैं जिनको की उन्हें देनी चाहिए।

किसी व्यवसायी या उद्योगपति का उन पर कोई आभार नहीं है। चुनाव के दिनों में उन्हें वित्तीय सहायता अपने समर्थकों से बिना मांगे ही मिल जाती है।

उनके चरित्र की इससे बड़ी प्रशंसा क्या हो सकती है कि राजनैतिक सत्ता की इतनी लम्बी अवधि में किसी ने कम से कम निष्पक्ष व्यक्तियों ने तो अवश्य ही उनके विरुद्ध उंगली नहीं उठाई।

उनकी अपने कार्यों में संलग्नता इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि वे अपने देश में अपने राज्य में बद्रीनाथ या कलकत्ता या पड़ौसी चंडीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण स्थान देख नहीं पाये हैं। बिना खर्च संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का आग्रह उन्होंने मना कर दिया।

श्री चरण सिंह ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि मंत्री गण तड़क-भड़क में न रह कर सादा रहें ताकि जहां तक संभव हो सके, उनमें और आम आदमी में जो खाई है उसे पाया जा सके। उन्हीं के पहल पर मन्त्रियों के वेतन घटाकर १००० रुपये प्रतिमास कर दिये गये, मन्त्रियों ने चमकदार शेवरलेट छोड़कर छोटी अम्बेसडर को अपनाया, मन्त्रियों की कारों तथा घरों पर राष्ट्रीय ध्वज का निन्तर फहराना समाप्त हुआ तथा ट्रेन यात्रा में मन्त्रियों के साथ पी. ए. सी. (P. A. C.) के जाने की प्रथा को समाप्त किया गया। जून १९५५ में जब मंत्रिमंडल की एक अनौपचारिक बैठक में इन सुझावों पर बहस हुई तो उनका उनके एक वरिष्ठ के साथ झगड़ा हुआ और उसकी कुछ टिप्पणी पर उन्हें बैठक छोड़कर बाहर जाना पड़ा।

उन्होंने मंत्री पद को हमेशा जनसेवा का एक माध्यम माना न कि एक लक्ष्य प्राप्ति, और वे अपना त्याग पत्र हमेशा अपनी जेब में रखते थे। वे अब तक कई बार त्याग-पत्र दे चुके हैं। अर्थात् जज भी उनके मान तथा जन-हित ने यह मांग की उन्होंने त्याग-पत्र दिया, उदाहरणतः मार्च १९४७; जनवरी १९४८, अगस्त १९४८, मार्च १९५०, जनवरी १९५१, नवम्बर १९५७, अप्रैल १९५९ तथा अगस्त १९६३ में।

१९५९ में उनका त्याग-पत्र स्वीकार होने पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण समाचार-पत्र, लखनऊ के 'नेशनल हेराल्ड' ने अपने २३ अप्रैल के सम्पादकीय कालमों में श्री चरण सिंह की निम्नलिखित शब्दों में प्रशंसा की :—

“श्री चरण सिंह का त्याग पत्र व्यक्तिगत तथा संस्था दोनों के लिए एक दुखान्त घटना है। उनका निकल जाना उत्तर-प्रदेश शासन के लिए एक बड़ी हानि की बात है। श्री सम्पूर्णानन्द ने भी एक ऐसे साथी को खोया है जो कि योग्य, गम्भीर, परिश्रमी

है तथा सत्यनिष्ठा के लिये ख्यात है, जबकि ऐसी ख्यातियाँ आजकल बहुत कम हैं। ऐसे कई मौके आये जबकि उनका श्री चरण सिंह से जोरदार मतभेद था और उन्होंने नीति सम्बन्धी मामलों पर उनकी आलोचना भी की। लेकिन फिर भी उनकी उद्देश्य की सच्चाई, हाथ में लिये हुए कार्यों के बारे में ज्ञान और कर्तव्यनिष्ठा के बार कोई शंका होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।”

इच्छा से या अनिच्छा से उनके ये गुण उनके राजनैतिक विरोधियों ने भी स्वीकार किये हैं। जैसा कि पाल आर ब्रास (Paul R. Brass) की एक अंग्रेजी पुस्तक “एक भारतीय राज्य में गुटबन्दी राजनीति : उत्तर-प्रदेश में कांग्रेस पार्टी” (बम्बई : आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया प्रेस, १९६६) paul R. Brass, “Factional politics in an India State : The Congress party in Uttar pradesh” (bombay : Oxford University press, University of California press, (1966) से मालूम पड़ता है, कि श्री चरण सिंह के विरुद्ध यह इलजाम है कि वे “स्वभाव से अभिमानी तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सम्बन्धों में हठधर्मी हैं।”

इस पुस्तक में से नीचे दिये गये उद्धरण उनके व्यक्तित्व को समझने में सहायक हो सकते हैं :

“१९४० के दशक के प्रारम्भ से उत्तर-प्रदेश सरकार में वर्तमान कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह जिला कांग्रेस तथा जिला राजनीति (मेरठ की) में छाये हुए हैं, और अपने लम्बे शासन के दौरान अपने नेतृत्व के विरुद्ध चुनौतियों का सामना करने में सफल रहे हैं। चौधरी साहब, जैसा कि उनके अनुयायी उन्हें श्रद्धापूर्वक बुलाते हैं, उत्तर-प्रदेश राजनीति में एक असाधारण सफलता प्राप्त गुट नेता रहे हैं। सत्ता प्राप्त करने की इच्छा से कम तथा अपने कार्यों तथा नीतियों के उचित होने में अटल विश्वास से अधिक

प्रेरित, चरण सिंह ने किसी का समर्थन तथा न किसी की तरफदारी चाहते हैं, तथा उनके मन में अपने विरोधियों की कोई चिन्ता नहीं होती।" (पृष्ठ १३६)

"चरण सिंह केवल एक राजनैतिक बुद्धजीवी ही नहीं है, बल्कि बहुत पढ़ने-लिखने वाले व्यक्ति है जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है जिसका उपयोग उन्होंने उत्तर-प्रदेश की कृषि समस्याओं का निरन्तर अध्ययन करने में किया है। चरण सिंह भूमि-धारी किसानों के बारे में उत्तर-प्रदेश के प्रमुख भारत-विद्या विशेषज्ञ हैं। उत्तर-प्रदेश जमींदारी उन्मूलन समिति के प्रमुख सदस्य के रूप में उन्होंने इस दिशा में जोरदार कार्य किया कि 'जमींदारी उन्मूलन अधिनियम' में ऐसी कमियां न रह जाएं जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जमींदारों के प्रभुत्व को बनाए रखने में सहायता मिले तथा यह निश्चित हो जाय की जमींदारी प्रथा अपना सिर दुबारा न उठा सके। (पृष्ठ १३६-१४०)

"चरण सिंह में एक आदर्श भारतीय गुट नेता होने के बहुत से गुण हैं। वे अपनी बौद्धिक योग्यता के लिये प्रसिद्ध हैं तथा सत्यनिष्ठा के लिये ख्यात हैं। किसी ने उन पर अब तक भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा का लांछन नहीं लगाया है। चरण सिंह के विरुद्ध जो मुख्य आलोचना की जाती है वह यह है कि स्वभाव के अभिमानी तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सम्बन्धों में हठधर्मी हैं।" (पृष्ठ १४१)

"अधिकतर गुट नेता नमनशील राजनीतिज्ञ, सुगम पहुंच वाले तथा अपने अनुयाइयों तथा साथियों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इस व्यवहार में विभिन्नता भी पायी जाती है। मेरठ जिले में एक उच्च सफलता प्राप्त गुटनेता चरण सिंह ने अपेक्षाकृत अनमनशील तथा हठधर्मी नेता होने की ख्याति प्राप्त की है। यह बात नहीं है कि वे शिकायतें नहीं सुनते या अपने

अनुयाइयों को भौतिक लाभ नहीं दिलवाते, लेकिन वे चाहते हैं कि उनके हस्तक्षेप करने के लिये उनको किये गये अनुरोध उचित तथा ठीक होने चाहिए। चरण सिंह इस अर्थ में अपेक्षाकृत अनमनशील हो सकते हैं क्योंकि वे अपने अनुयाइयों के प्रति वफादार हैं और क्योंकि वे अपने लिये वह कुछ नहीं चाहते जो कि उन लोगों से जो उन पर व्यय करते हैं न बटा सकें।
(पृष्ठ २३७)

एक राजनैतिक नेता के रूप में उनकी अभूतपूर्व सफलता में लेखक ने उनके व्यक्तिगत चरित्र को एक तत्व बताया है।

फिर भी विडम्बना यह है कि सार्वजनिक आचरण के वे आदर्श जिन्हें श्री चरण सिंह इतनी ईमानदारी से निभा रहे हैं—जिनके बारे में पाल. आर. ब्रास ने कहा है और बड़े जोर शोर से काँग्रेसजनों द्वारा सभाओं में जिनका दावा किया जाता है—उन हलकों में इनकी चर्चा हुई जिनसे इनका सम्बन्ध है। लखनऊ में समान आयु तथा पद के उनके सहयोगी ईर्ष्या तथा पक्षपात के सामान्य मानवीय भावों से ग्रस्त थे।

उनके मान्यता प्राप्त करने में एक और रुकावट थी। वे राज्य की राजनीति में प्रभावशाली जातियों में पंदा नहीं हुए थे। जैसा कि लखनऊ के अंग्रेजी समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के सम्पादक ने २५ दिसम्बर १९६६ के अपने एक प्रमुख लेख 'खेल या जुआ' (Game Or Gamble) में लिखा है :

“इस प्रकार राजनीति एक अनिश्चित, गन्दा, घातक तथा व्यर्थ खेल है। यह स्वभाविक है कि राजनैतिक जीवन अस्थिर

होता है, जिसे बहुतों को भुगतना पड़ता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं। श्री चरण सिंह के लिये काफी गुण हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता क्योंकि उनके पीछे राज्य की प्रमुख राजनैतिक जातियों, ब्राह्मणों, बनियों, क्षत्रियों या अनुसूचित जातियों, की जाति शक्ति नहीं है।'

श्री चरण सिंह ने १९६७ में कांग्रेस से त्यागपत्र दिया उन्होंने कांग्रेस इस कारण से नहीं छोड़ी कि वे मुख्य मंत्री बनना चाहते थे, जैसा कि कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया था बल्कि इसलिए कि कांग्रेसी नेताओं ने उनके साथ विश्वासघात किया था। वे उस समय विद्यमान किसी भी विपक्षी राजनीतिक दल से अपना सम्बन्ध जोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने स्वयं अपनी एक अलग पार्टी का गठन किया जिसके प्रमुख उद्देश्य थे ईमानदार प्रशासन तथा देश की समस्याओं का गांधी जी के बनाये हुए सिद्धांतों के अनुसार समाधान।

यह उनके उस पत्र से स्पष्ट हो जाता है जो कि उन्होंने ८ जनवरी, १९७७ को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उन आरोपों के अत्युत्तर के तौर पर लिखा था जो उन्होंने एक जनसभा में भाषण के दौरान श्री चरण सिंह पर लगाए थे। इस पत्र में उन्होंने इस बात पर साफ-साफ शब्दों में ध्यान आकर्षित किया उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए १९६७ के आम चुनावों में सभी विपक्षी दलों को प्राप्त २२७ स्थानों की तुलना में कांग्रेस को १९८ सीटें मिली थीं। उस समय विपक्षी दलों ने उन पर मुख्यमंत्री पद सम्भालने के लिए जोर दिया था

क्योंकि उनके समर्थन से विपक्षी दलों को प्राप्त स्थानों की संख्या लगभग २७५ तक पहुंच जाती थी। परन्तु श्री चरण सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी छोड़ने का उनका कोई विचार नहीं था। यहां तक कि कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव से उन्होंने श्री चन्द्रभानु गुप्त के पक्ष में अपना नाम इस शर्त पर वापस ले लिया राज्य मंत्री मंडल के ऐसे दो तिहाई सदस्यों को हटा दिया जिनकी श्री चरण सिंह की राय में ख्याति अच्छी नहीं थी और उनके स्थान पर उन लोगों को मंत्री बनाया जाय जो निर्विवाद ईमानदार और निष्ठावान माने जाते हैं। जब श्रीमती गांधी के प्रतिनिधियों और श्री चरण सिंह के बीच हुए फैसले को अमल में नहीं लाया गया, श्री चरण सिंह कांग्रेस पार्टी को छोड़ देने का फैसला किया। १ अप्रैल को सदन में इस आशय की घोषणा भी कर दी। उसी दिन शाम को श्रीमती गांधी के प्रतिनिधियों ने उनके निवास स्थान पर श्री चरण सिंह से कांग्रेस में वापस आकर मुख्यमंत्री पद को संभालने का आग्रह किया। परन्तु अब तक जो कुछ हो चुका था उसे देखते हुए उन्होंने इस निमन्त्रण को अस्वीकार कर देना ही उचित समझा। श्री चरण सिंह ने स्पष्ट शब्दों घोषित किया कि यदि वे मुख्य मंत्री पद को इतना ऊँचा समझते तो 'हर सम्भव तरीके से' उस पद पर आसन रहने का प्रयत्न करते। न ही वे अगस्त और दिसम्बर १९६७ में, यह विचार आने पर कि उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण जनहीत से मेल नहीं खाता, मुख्यमंत्री से त्यागपत्र देने का प्रस्ताव रखते।

श्री चरण सिंह ने भारत के सबसे बड़े राज्य में ईमानदार प्रशासन व्यवस्था का प्रबन्ध किया था। इस कार्य में सात अलग

अलग दलों के प्रतिनिधि—जनसंघ, संसोपा, प्रसपा, स्वतंत्र पार्टी, साध्यवादी पार्टी, जन कांग्रेस (जिसे बाद में 'भाक्रांद' के नाम से जाना गया। तथा एक दो अन्य लोग उनके सहयोगी थे।

श्री चरण सिंह के मुख्य मंत्री पद के कार्यकाल में अनुसूचित के एक सदस्य को राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया जो कि एक नई बात थी।

श्री चरण सिंह की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उनके मंत्री मंडल में पिछड़े हुए वर्गों में से चार व्यक्ति कैबिनेट दर्जे के मंत्री भी विभिन्न पिछड़े हुए वर्गों से ही सम्बन्धित थे। १९३७ से जब कि कांग्रेस ने सत्ता को सम्भाला, पिछड़े हुए वर्गों से जिसका अनुपात कुल जनसंख्या का ५५ प्रतिशत था, किसी भी सदस्य को मंत्री पद नहीं दिया गया था। पस्सी समुदाय के एक सदस्य को भी राज्य में मंत्री बनाया गया। पस्सी समुदाय अनुसूचित जातियों में चमारों तथा जाटवों के बाद सबसे बड़ा है परन्तु कांग्रेस शासन के इतिहास में अब तक इस जाति के किसी भी सदस्य को कहीं भी मंत्री पद नहीं दिया गया।

श्री चरण सिंह ने अपने सहयोगियों को इस आशय का निर्णय लेने के लिए राजी किया कि अगले जून के बाद किसी भी ऐसी शिक्षण संस्था को जिसे सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, अगर संस्था के नाम के साथ किसी विशेष जाति का नाम जुड़ा हो तो यह सहायता बंद कर दी जाएगी। इस निर्णय के फलस्वरूप अब राज्य ने एक भी ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं है जिसके नाम के साथ किसी जाति का नाम जुड़ा हो।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में श्री चरण सिंह के कार्यभार संभालने से पहले तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी। परन्तु जैसे ही वे मुख्य मंत्री बने कीमतें तेजी से गिरने लगीं। जमाखोर उन के सख्त रवैये से डरते थे और उन्होंने अब अपना दबाया हुआ स्टाक बाजार में बेचना आरम्भ कर दिया।

गेहूँ की सरकारी खरीद की कीमत ८०/८५ रुपये प्रति क्विन्टल निश्चित की गई जो कि शायद किसानों को उपज के बदले अब तक दी गई कीमतों में सबसे अधिक है। उस समय खाद्य पदार्थों के अधिप्राप्ति के विषय में एक योजना बनाई गई जिसका राज्य कांग्रेस समिति ने कड़ा विरोध किया। परन्तु छः वर्षों के बाद इसी योजना को केन्द्र सरकार ने अपनाया और सभी राज्य सरकारों को इसे अमल में लाने का सुझाव दिया।

इसी प्रकार कुछ प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों को गन्ने की अब तक की अधिकतम कीमत प्राप्त हुई।

हमारे आर्थिक जीवन की यह एक विशेषता है सितम्बर अक्टूबर के महीनों में जब रबी की फसल बोई जाती है, गेहूँ और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। परन्तु १९६७ में उनकी कीमतें किसानों को मई जून में प्राप्त कीमतों की अपेक्षा भी कम थी। इसका सीधा-सादा कारण यह था कि अब राज्य में खाद्य पदार्थों की जमाखोरी करने की हिम्मत किसी भी व्यापारी में नहीं थी।

जब तक श्री चरण सिंह मुख्य मंत्री रहे राज्य भर में न तो किसी कारखाने में कोई हड़ताल हुई और न ही सरकारी कर्मचारियों के किसी भी वर्ग ने इस तरह का कोई कदम उठाया ।

विभिन्न जिलों में उनके द्वारा किसी भी स्थान पर खास-खास समय निरीक्षण के लिए अचानक नाटकीय तौर पर उपस्थित हो जाने की कई कहानियां हैं । इससे भ्रष्ट अधिकारी सदैव सावधान रहते थे । इसका कारण यह था कि वे भ्रष्ट लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे और किसी किस्म की भी सिफारिश पर कोई ध्यान नहीं देते थे । परन्तु इसके साथ-साथ यह भी देखा गया कि उनके समय ऐसे अधिकारियों की संख्या जिन्हें दंड दिया गया हो, अन्य वर्षों की अपेक्षा कम थी । एकमात्र अन्तर यह था कि लोग पहले तो सिफारिशें पहुंचा कर अनुशासन कारवाइयों से बच जाते थे पर अब सिफारिशों की परवाह बिल्कुल नहीं की जाती थी । देश के इतिहास में पहली बार सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच के विषय में एक अध्यादेश जारी किया गया । उन सार्वजनिक व्यक्तियों में, जिनके विरुद्ध जांच की जा सकती थी, विधात मंडल के सदस्य, पहले दर्जे के म्युनिसिपल समितियों के अध्यक्ष, नगर-निगमों के महापौर और जिला सहकारी संघों के प्रधान भी शामिल थे । महत्वपूर्ण यह थी कि अध्यादेश के अंतर्गत एक ऐसी स्वतंत्र जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी जो सरकार को उत्तरदायी नहीं थी । इस अध्यादेश की केरल तथा उड़ीसा की सरकारों ने नकल की । परन्तु श्री चरण सिंह के इस्तीफा देने के फौरन बाद भारत के राष्ट्रपति ने इसे रद्द कर दिया ।

१९७० में श्री चरण सिंह ने एक अध्यादेश के अंतर्गत यह व्यवस्था की कि शिक्षण संस्थाओं में छात्र संघों का होना अनिवार्य नहीं होगा। सभी संघ ऐच्छिक होंगे। फलस्वरूप, हड़ताल नहीं हुए, सामूहिक रूप से नकल करने के वारदात बन्द हुए, लड़कियों से छेड़-छाड़ खत्म हुई और स्वतंत्र भारत के पिछले २० वर्षों में अधिकतम दिनों तक शिक्षण संस्थाएं कार्यशील रहीं। श्री चरणसिंह द्वारा किए गए इस उपाय की सराहना करते हुए अनगिनत प्राचार्यों ने उन्हें पत्र लिखे जिनमें छात्र तथा शिक्षक समुदाय को इससे पहुंचे लाभ का उल्लेख किया गया था।

इसी प्रकार, उन्होंने एक गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम भी बनाया। अधिनियम के कानून संग्रह में शामिल किए जाने से भी पूर्व, जैसे लोगों तक यह बात पहुंची कि सरकार इस तरह के अधिनियम पर विचार कर रही है, समाज-विरोधी तत्व सावधान हो गए और चौराहों पर जेबों में चाकू रख कर मंडराने वाले गुण्डे ऐसे गायब हुए कि फिर कहीं नहीं दिखाई पड़े। ऐसे कुछ अभिभावक जो अपनी लड़कियों को घर से बाहर भेजते घबराते थे, अब निश्चिन्त होकर उन्हें स्कूलों-कॉलिजों को भेजने लगे।

संयुक्त विधायक दल में जन कांग्रेस (भाकंड) को छोड़ कर उसके अन्य सभी अंग सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के पक्ष में थे। श्री चरण सिंह जून के महीने में इस विषय में नरम पड़े और इस वेतन वृद्धि के फलस्वरूप राजकीय कोष पर १० करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का बोझ पड़ा। तीन महीने

बाद संसोपा और साम्यवादी पार्टी ने कुछ ऐसे माँग रखे जो परस्पर विरोधी थे । इसका यह नतीजा निकला कि कैबिनेट स्तर के एक मंत्री ने तथा राज्य स्तर के एक मंत्री ने इस्तोफा दे दिया । श्री चरण सिंह की प्रतिक्रिया यह थी कि उस सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के स्थान पर जिसके बिना राज्य का आर्थिक विकास असंभव है, वे अपना पद छोड़ना अधिक पसन्द करेंगे ।

गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार तथा मध्य प्रदेश में गम्भीर साम्प्रदायिक दंगे हो चुके थे परन्तु उत्तर-प्रदेश में जहाँ मुसलमानों का अनुपात सबसे अधिक है श्री चरण सिंह के कार्यकाल में एक भी ऐसी वारदात नहीं हुई । जनवरी, १९६८ में संयुक्त विधायक दल की सरकार के समय तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वाराणसी में विज्ञान अधिवेशन की बैठक में भाषण देने के लिए आना था । श्री राजनारायण तथा तत्कालीन संसोपा के उनके साथियों ने उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया क्योंकि श्री राजनारायण के दो साथियों को श्रीमती गांधी के आदेश पर नई दिल्ली में दफा १४४ के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था । संसोपा के संयुक्त विधायक दल में ४५ सदस्य थे और उसके समर्थन के हटा लेने पर सम्भवतः सरकार चल नहीं पाती । परन्तु श्री चरण सिंह ने फैसला किया कि प्रधान मंत्री को किसी भी तरह की हानि या बाधा नहीं होनी चाहिए । उन्होंने अपने संसोपा के मित्रों को बताया कि वे श्रीमती गांधी के गिरफ्तारी की अनुमति नहीं देंगे । संसोपा के नेताओं को उन्होंने जेल भेज दिया । इसके बाद उन्हें पता चला कि संसोपा पार्टी और सरकार में परेशानियाँ

पैदा करेगी। अतः फरवरी, १९६८ में इस बात के बावजूद कि उन्हें बहुमत प्राप्त था, श्री चरण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया।

श्री चरण सिंह सभी राष्ट्रीय आन्दोलनों में आगे रहे हैं और इसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का 'सम्पूर्ण क्रांति' आन्दोलन भी शामिल है। श्रीमती इंदिरा गाँधी की सरकार ने २५ जून, १९७५ की रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। जेल के अन्दर से ही वे देश के सभी विभिन्न दलों को मिलाकर एक संयुक्त विपक्षी दल बनाने का अनथक प्रयास करते रहे। मार्च १९७६ में जेल से रिहा होने के बाद भी वे चुप न बैठे बल्कि श्रीमती गाँधी के अधिनायक वाली सरकार की निरन्तर कटु आलोचना करते रहे। प्रजातंत्र के प्रेमी इस विषय में उनके द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में २३ मार्च, १९७६ के जोरदार भाषण को कभी नहीं भुला पाएंगे। एक संयुक्त विपक्षी दल बनाने के कार्य में तथा सार्वजनिक तौर पर उसकी घोषणा में सबसे पहले श्री चरण सिंह ने ही श्री जयप्रकाश नारायण का समर्थन किया।

मार्च १९७७ की अल्प क्रांति के बाद जब जनता पार्टी बनी जिसमें श्री चरण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें केन्द्रीय गृह मन्त्री बनाया गया। परन्तु प्रधान मंत्री मोरार जी देसाई के साथ सैद्धान्तिक मतभेद के कारण वे सदैव आशंकित और चिन्तित रहते थे जब यह मतभेद सतह तक पहुंच गए तो

प्रधानमंत्री पद के अहंकार ने गृह मंत्री पद पर घातक हमला किया। ३० जून, १९७८ को श्री देसाई के राजसी आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। वास्तव में यह त्यागपत्र नहीं बल्कि मंत्री मंडल से वैधानिक निष्कासन था।

प्रधान मंत्री के उस पत्र के उत्तर में जिसमें कर्कश भाषा में श्रीमती गांधी पर मुकदमे के विषय में उनके द्वारा दिए गए एक वक्तव्य के कारण त्यागपत्र देने को कहा था, श्री चरण सिंह ने कहा कि वे लोकसभा में प्रधान मंत्री के पत्र के विषय में विस्तृत वक्तव्य देंगे। प्रधान मंत्री का यह आरोप कि उन्होंने मंत्री मंडल के संयुक्त उत्तरदातित्व के सिद्धांत का उल्लंघन किया केवल एक बहाना मात्र है। वास्तविक कारण तो कुछ और ही है।

श्री चरण सिंह को किसी भी पदवी का कभी मोह नहीं रहा है। वे चाहे कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहे हों, पदवी को उन्होंने अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का एक हथियार माना है। उसे अपने आप में एक लक्ष्य कभी भी नहीं माना। यही है वह भावना जिसे हाथ में मसाल की तरह उठकर गांधी के इस देश में वे आम जनता की सेवा करते आए हैं—निर्धन, दलित, दुखी, बेसहारा ऐसे लाखों-करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने अपना तन-मन-धन न्यौछावर किया है, आज भी कर रहे हैं और अंतिम सांस तक करते रहेंगे। यही उनके जीवन का मूल उद्देश्य है।